रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/चैत्र 8, 1939
No. 119] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939

तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम, 2009 के अंतर्गत स्थापित)

अधिसूचना

तिरुवारूर, 29 मार्च, 2017

सं. के.वि.त.ना.-10(1)/2012/विधिक.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

प्रथम अध्यादेश

प्रशासनिक अध्यादेश	
अध्यादेश क्रं.	शीर्षक
3	सामान्य भविष्य निधि और पेंशन
शैक्षिक और परीक्षा संबंधी अध्यादेश	
1	अध्ययन विभाग और उनके वर्तमान कार्य
2	विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश
3	विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क
4	बी.एससी., बी.एस., बी.ए., एम.ए., एम.एससी. उपाधि अध्ययन कार्यक्रम और स्नातकोत्तर डिप्लोमा अध्ययन कार्यक्रम
5	एम.फिल. उपाधि अध्ययन कार्यक्रम
6	पी.एचडी. अध्ययन कार्यक्रम
7	दीक्षांत समारोह
8	विश्वविद्यालय द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों/प्राधिकरण/संस्थानों के साथ मान्यता और सहयोग की प्रणाली
9	विद्यार्थियों के बीच अनुशासन का निर्वाह

प्रशासनिक अध्यादेश

अध्यादेश : 3

[कार्य परिषद द्वारा 28/05/2011 को संपन्न अपनी चौथी बैठक में अनुमोदित]

सामान्य भविष्य निधि और पेंशन

[अधिनियम 28[o] के अंतर्गत]

विश्वविद्यालय के सभी शैक्षिक और शिक्षकेतर कर्मचारी, जिन्होंने दि. 1 जनवरी, 2004 के बाद केंद्र सरकार/विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है, वित्त मंत्रालय (भा.स.) द्वारा जारी अधिसूचना सं. 5/7/2003-ईसीबी एवं पीआर, दि. 05/07/2003 के प्रावधान के अनुसार नवीन पेंशन नियमों द्वारा और अधिसूचना संख्या एफ. सं. 1(7)(2)/2003/टीए/67-74, दि. 04/02/2004 में की गई उनकी व्याख्यानुसार और बाद में समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे।

शैक्षिक और परीक्षा संबंधी अध्यादेश

अध्यादेश : 1

[विद्या परिषद द्वारा दि. 03/04/2010 को संपन्न द्वितीय बैठक में और कार्य परिषद द्वारा दि. 08/05/2010 को संपन्न द्वितीय बैठक में अनुमोदित]

अध्ययन विभाग और उनके वर्तमान कार्य

[तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 15(5) (ए) में व्याख्यायित धारा 26(के) के अंतर्गत]

1. **समाज विज्ञान एवं मानविकी विद्यापीठ के अंतर्गत निम्नांकित विभागों को सम्मिलित किया गया है :**

   (i) तमिल विभाग

   (ii) अंग्रेज़ी विभाग

   (iii) प्रादेशिक अध्ययन विभाग

2. **मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत निम्नांकित विभागों को सम्मिलित किया गया है :**

   (i) भौतिक विज्ञान विभाग

   (ii) रसायन विभाग

3. **गणित एवं कम्प्यूटर विज्ञान विद्यापीठ के अंतर्गत निम्नांकित विभागों को सम्मिलित किया गया है :**

   (i) गणित विभाग

अध्यादेश : 2

[विद्या परिषद द्वारा दि. 03/04/2010 को संपन्न द्वितीय बैठक में और कार्य परिषद द्वारा दि. 08/05/2010 को संपन्न द्वितीय बैठक में अनुमोदित]

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश

(अधिनियम की धारा 6(1)(xviii),6(2)(i) & (ii), 7 एवं 28(1)(ए) के अंतर्गत)

1. कोई भी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता की शर्त के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता/लेती है।

2. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र विद्या परिषद/या किसी अन्य संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए के अनुसार होगा। सहयोगी संस्थानों के संबंध में जिनके साथ विश्वविद्यालय ने एक औपचारिक समझौता ज्ञापन किया है या वह संस्थान, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त है, आवेदन पत्र उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा।

3. विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में दाखिले की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष विद्या परिषद द्वारा तय की जाएगी।

4. विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक वर्ष विद्या परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी।

5. स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा अध्ययन कार्यक्रम के लिए प्रवेश संबंधित विद्यापीठ या विभाग/केंद्र द्वारा गठित प्रवेश समिति द्वारा किया जाएगा। प्रवेश समिति में संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/केंद्र के निदेशक और संबंधित विभाग के दो वरिष्ठ सदस्य होंगे। हालांकि, जब आवश्यक हो, कुलपति एक उपयुक्त प्रवेश समिति का गठन कर सकते हैं। इसकी रचना और कार्यवाही वैसी ही होगी जैसा कि कुलपति द्वारा तय किया गया है।

6. डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जैसे अग्रणी अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश पर संबंधित विद्यापीठ के विद्यापीठ मंडल द्वारा विचार किया जाएगा। सलाहकार संस्थानों के माध्यम से इस तरह के अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के संबंध में, विद्यापीठ मंडल शोध-निर्देशकों की सिफारिशों पर भी विचार करेगा, जो स्वीकृति के लिए अभ्यर्थी द्वारा व्यक्त किए गए उद्देश्य के विशिष्ट बयान की जांच करेगा।

7. सहयोगी संस्थाओं के मामले में, संस्थानों की प्रवेश समिति के अलावा, कुलपति का नामांकित व्यक्ति प्रवेश समिति का सदस्य होगा।

8. पात्रता की आवश्यकता को पूरा करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अभिलेखों के आधार पर और/या प्रत्येक अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में जैसा निर्धारित किया गया है, किसी भी प्रवेश परीक्षा/मौखिकी में अभ्यर्थी के प्रदर्शन पर विचार किया जा सकता है। विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में अभ्यर्थियों को योग्यता-क्रम के आधार पर भर्ती कराया जाएगा। कोई भी अभ्यर्थी प्रवेश को अपना अधिकार मान कर दावा नहीं करेगा।

9. केवल ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने किसी भी कानून द्वारा सम्मिलित वर्तमान में मौजूद भारतीय विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण की है, या ऐसी अन्य परीक्षा जिसे समकक्ष मान्यता प्राप्त है, प्रवेश के लिए पात्र होंगे। विदेशी डिग्री/पाठ्यक्रमों की तुल्यता विश्वविद्यालय द्वारा उस विभाग के साथ परामर्श से निर्धारित किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी प्रवेश की मांग कर रहा है।

10. पिछड़े राज्यों और विदेशी देशों के अभ्यर्थियों के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षित उच्चतम सीटों में प्रवेश के संबंध में, उनके प्रवेश को भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा शासित किया जाएगा। हालांकि, ऐसी उच्चतम सीटों की कुल संख्या प्रवेश के उस वर्ष में विश्वविद्यालय के कुल अंतर्ग्रहण के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. प्रवेश संबंधी प्रावधानों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, जिन अध्ययन कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय का सहयोगी संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन है, उन अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी, विश्वविद्यालय महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों या समाज के कमज़ोर वर्ग, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और नागरिकों के अन्य सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के प्रवेश के लिए, विशेष प्रावधान बना सकता है। ऐसे विशेष प्रावधानों को समय-समय पर नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

12. कोई भी अभ्यर्थी आम तौर पर एक समय में एक से अधिक अध्ययन कार्यक्रमों में भर्ती नहीं होगा। हालांकि, विश्वविद्यालय द्वारा अन्य संस्थानों में पेशेवर प्रकृति के अंशकालिक/सायंकालीन प्रमाणपत्र/डिप्लोमा अध्ययन कार्यक्रम करने के लिए संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष/केंद्र के निदेशक से परामर्श के पश्चात अनुमति दी जा सकती है। ऐसे अध्ययनों से विश्वविद्यालय में विद्यार्थी की शैक्षणिक गतिविधियों में बाधक नहीं होना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय में छात्रों के शैक्षणिक गतिविधियों में इसे बाधक पाया जाए तो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति वापस ले ली जा सकती है।

13. प्रवेश के समय सभी अभ्यर्थी एक अधिकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर/सहायक सिविल सर्जन से एक मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

14. अभ्यर्थी को एक विद्यापीठ में एक अध्ययन कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में प्रवेश पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद भर्ती किया जाएगा। स्व-सहायता और स्वयं-वित्तपोषित अध्ययन कार्यक्रमों के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क का निर्धारण उस अध्ययन कार्यक्रम को चलाने में लगने वाले आर्थिक पक्ष पर विस्तार से विचार करने के बाद किया जाएगा।

15. यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने ग़लत या अनुचित वक्तव्य दिया है या अन्य धोखेबाज़ तरीकों का उपयोग किया है, जिसके आधार पर उसने अपना प्रवेश सुरक्षित कर लिया है, तो उसका नाम विश्वविद्यालय के रोल से निकाल दिया जाएगा।

अध्यादेश : 3

[विद्या परिषद द्वारा दि. 03/04/2010 को संपन्न द्वितीय बैठक में और कार्य परिषद द्वारा दि. 08/05/2010 को संपन्न द्वितीय बैठक में अनुमोदित]

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क

[अधिनियम की धारा 28(1)(ई) के अंतर्गत]

1. विद्या परिषद की सिफारिशों पर कार्य परिषद, समय-समय पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा देय शुल्क निर्धारित करेगी।
2. विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त सभी विद्यार्थियों को प्रवेश के समय और बाद के सत्रों के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित तारीख के भीतर करना होगा।
3. **भुगतान में देरी या व्यतिक्रम** :

(1) यदि कोई छात्र शुल्क पर समय का भुगतान नहीं करता है, तो जुर्माना इसके अनुसार लगाया जाएगा :

(i) भुगतान के लिए अंतिम दिन से पहले 10 दिनों के लिए शुल्क का 10%

(ii) अगले 10 दिनों के लिए शुल्क का 20%

(iii) अगले 10 दिनों के लिए शुल्क का 30%

(2) कुलपति, या, उनकी ओर से कोई अन्य अधिकारी, जिसे उनकी शक्ति का अधिकार दिया गया है, संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की सिफारिशों पर, देरी को निरस्त कर सकता है या विशेष मामलों में छात्र द्वारा दिए जाने वाले जुर्माने को कम कर सकता है, बशर्ते कि संबंधित विद्यार्थी शुल्क के देर से भुगतान के कारणों को बताते हुए एक लिखित आवेदन प्रस्तुत करें। इस तरह के आवेदन देय तिथियों से कम-से-कम एक सप्ताह पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(3) शुल्क के भुगतान के लिए अधिसूचित अंतिम तिथि से 30 दिनों की समाप्ति पर बाकीदार अभ्यर्थी के नाम विश्वविद्यालय के रोल से हटा दिए जाएँगे।

(4) वह विद्यार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय के रोल से हटा दिया गया है, संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की सिफारिशों पर और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पुनर्प्रवेश शुल्क के साथ बकाया शुल्क और पूर्ण जुर्माना तथा अन्य देय के भुगतान के साथ फिर से भर्ती कराया जा सकता है। हालांकि, इस तरह के पुनः प्रवेश बशर्ते उसी सेमेस्टर के भीतर और न्यूनतम उपस्थिति आवश्यकता को पूरा करने वाले छात्र के लिए ही लागू होगा।

(5) जब भी कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय से दाखिल वापस लेने का प्रस्ताव करता है, तो वह संबंधित विभाग/ केन्द्र के अध्यक्ष के माध्यम से संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष को अपने दाखिले के वापसी की तारीख सूचित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा/करेगी। यदि वह ऐसा करने में विफल होता/होती है, तो उसने जिस माह के शुल्क का भुगतान किया है, अधिकतम उसी माह की अवधि तक उसका नाम विश्वविद्यालय के रोल पर रखा जाएगा। उसे इस अवधि के दौरान आने वाले सभी शुल्कों/प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।

4. **दृष्टिहीन विद्यार्थियों को छूट :**

दृष्टिहीन विद्यार्थियों को सभी शुल्कों के भुगतान से छूट दी जाएगी।

5. **शुल्क में रियायत :**

(1) शुल्क में रियायत, फ्रीशिप का अनुदान और फ्रीशिप का प्रतिशत समय-समय पर संशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों द्वारा शासित होगा।

(2) शैक्षिक वर्ष के दौरान दी गई फ्रीशिप को अगले वर्ष स्वचालित रूप से नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसी रियायत की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को हर साल नए आवेदन प्रस्तुत करने होंगे, जिन पर वर्ष में प्राप्त नए आवेदनों के साथ विचार किया जाएगा।

(3) विद्यार्थी को दिए गए फ्रीशिप को रद्द कर दिया जा सकता है, यदि उसका व्यवहार या अध्ययन में प्रगति असंतोषजनक पाई जाती है।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या विद्यार्थियों के किसी भी अन्य वर्ग के लिए शुल्क की रकम भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार होगी।

6. **शुल्क की धनवापसी, सुरक्षा जमा आदि :**

(1) यदि, शुल्क का भुगतान करने के बाद, किसी विद्यार्थी को दाखिला रद्द करने की की इच्छा हो, तो वह दाखिला वापसी के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसा आवेदन कुलसचिव द्वारा संबंधित शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से कम-से-कम पांच दिन पहले प्राप्त होता है, तो उसे पंजीकरण शुल्क के अलावा सभी शुल्क और जमा वापस कर दिए जाएँगे।

(2) यदि शुल्क का भुगतान करने के बाद, कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है और यदि शैक्षिक सत्र के प्रारंभ होने के बाद लेकिन प्रवेश बंद होने से पहले विश्वविद्यालय द्वारा उसका दाखिला वापसी के लिए आवेदन प्राप्त होता है, तो उसे पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क में से **25%** घटाकर बाकी सभी शुल्क और जमाएँ वापस लौटाए जाएँगे।

(3) शैक्षिक सत्र के लिए प्रवेश बंद होने के बाद प्राप्त होने वाले वापसी के आवेदन पर विद्यार्थी को केवल सुरक्षा जमा/अवधाना राशि की ही वापसी मिलेगी।

(4) विद्यार्थी के विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद उसके आवेदन करने पर उसका सभी बकाया, जुर्माना और अन्य दावों को घटाकर सभी जमा अथवा अवधाना राशि वापसी योग्य है।

(5) यदि कोई छात्र विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद एक कैलेंडर वर्ष के भीतर उसे प्राप्य जमा के लिए दावा प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे छात्र सहायता निधि में जब्त कर लिया गया माना जाएगा। एक वर्ष की अवधि, विद्यार्थी द्वारा आखिरी बार लिखे गए परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि या उस दिन से गणना की जाएगी, जहाँ से उसका नाम विश्वविद्यालय के रोल से हटा दिया गया है।

(6) यदि किसी विद्यार्थी ने विश्वविद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुँचाई हो और उसके लिए वह विश्वविद्यालय को धनराशि देय हो तो उसके सुरक्षा जमा से बकाया ट्यूशन शुल्क और जुर्माने की कटौती की जाएगी।

7. **परीक्षा के लिए शुल्क और हॉल टिकट**

(1) विद्यार्थियों द्वारा देय परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(2) किसी भी विद्यार्थी को तब तक हॉल टिकट जारी नहीं किया जाएगा अथवा उसे परीक्षा में ही बैठने दिया जाएगा, जब तक कि वह देय राशि और परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करता।

8. **परीक्षा परिणाम की पुनःजाँच के लिए शुल्क :**

(1) परीक्षा परिणाम की पुन:जांच के लिए शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(2) पुन:जांच करने के लिए भुगतान किया गया शुल्क अभ्यर्थी को वापस कर दिया जाएगा, यदि परिणामों की पुन:जांच करने पर, यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित परिणामों में किसी भी तरह की त्रुटि या चूक है।

9. **अंक-पत्रिका के लिए शुल्क :**

(1) प्रत्येक विद्यार्थी को परीक्षा शुल्क के साथ प्रत्येक परीक्षा के लिए अंक-पत्र के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(2) विद्यार्थियों को संबंधित विभागों/केंद्रों के अध्यक्षों के माध्यम से अंक-पत्र भेजे जाएँगे।

10. **शुल्क :**

प्रवेश शुल्क, पुनःप्रवेश, पंजीकरण, परीक्षा, पुन:जांच, अंकपत्र, अंतरण प्रमाणपत्र, अनंतिम प्रमाण पत्र, डिग्री प्रमाणपत्र, बोनाफाइड प्रमाणपत्र या अन्य कोई प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्रों की नकली प्रतियाँ विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुसूची के अनुसार होगी।

अध्यादेश : 4

[विद्या परिषद द्वारा दि. 03/04/2010 को संपन्न द्वितीय बैठक में और कार्य परिषद द्वारा दि. 08/05/2010 को संपन्न द्वितीय बैठक में अनुमोदित]

बी.एससी., बी.एस., बी.ए., एम.ए., एम.एससी. उपाधि अध्ययन कार्यक्रम और स्नातकोत्तर डिप्लोमा अध्ययन कार्यक्रम

[अधिनियम की धारा 28(1) के अंतर्गत]

1. संबंधित डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और उसके अंतर्गत कार्यशील विद्यापीठ/विभाग/केंद्रों अथवा विश्वविद्यालय ने जिस सहयोगी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है, के द्वारा स्थापित किया जाएगा।

2. **पाठ्यक्रमों की अवधि :**

(1) कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन कला और अन्य विषयों में स्नातकोत्तर के लिए एकीकृत अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश किया जाएगा और ऐसे पाठ्यक्रमों की अवधि सेमेस्टर पैटर्न में पाँच साल होगी। विश्वविद्यालय 3 व 4 वर्ष के सफल समापन के बाद विद्यार्थियों द्वारा अपने अनुरोध पर निकासी विकल्प प्रदान कर सकता है और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्नातक डिग्री के रूप में पुरस्कार प्रदान कर सकता है।

(2) सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों की अवधि सेमेस्टर पैटर्न के अनुसार समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

(3) सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की अवधि, दो साल या सेमेस्टर पैटर्न में या समय-समय पर निर्धारित के अनुसार होगी। यह उन पर लागू होगा, जिन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों की योग्यता प्राप्त स्नातक की डिग्री के साथ विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर डिग्री अध्ययन कार्यक्रमों में सीधे प्रवेश लिया है।

(4) प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा अध्ययन कार्यक्रमों की अवधि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर सेमेस्टर पैटर्न में निर्धारित की जाएगी। यह उन लोगों के लिए लागू है, जिन्होंने विश्वविद्यालय तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रत्येक प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा अध्ययन कार्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हता के साथ विश्वविद्यालय के प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा में सीधे प्रवेश लिया है।

3. **प्रवेश के लिए योग्यता**

प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंडों को विद्या परिषद या समय-समय पर इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किसी अन्य संस्था द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

4. **अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम निर्माण :**

(1) अध्ययन कार्यक्रम के पाठ्यक्रम संबंधित विद्यापीठ मंडल द्वारा विभाग/केंद्र या सहयोगी संस्थानों की सिफारिशों पर अनुमोदित होंगे ;

(2) प्रत्येक पाठ्यक्रम की सामग्री उन संबंधित विद्यापीठ मंडलों/सहयोगी संस्थान(नों)/विभागों/केंद्रों द्वारा अनुमोदित होगी ;

(3) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पढ़ने और सीखने की सामग्री, संबंधित विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/सहयोगी संस्थान(नों) द्वारा निर्धारित के अनुसार होगी।

5. उपस्थिति

(1) प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम अपेक्षित उपस्थिति वास्तव में आयोजित कक्षाओं और अन्य निर्धारित शैक्षिक गतिविधियाँ जैसे संगोष्ठी, सत्र और व्यावहारिक सत्र का 75% है।

(2) विश्वविद्यालय वैध और ठोस कारणों से अनुपस्थिति को माफ कर सकता है लेकिन 5% से अधिक नहीं, बशर्ते कि संबंधित विद्यापीठ/सहयोगी संस्थान(नों) के संकायाध्यक्ष विभाग के अध्यक्ष/केंद्र निदेशक से परामर्श कर इस आशय की सिफारिश करें।

(3) अतिरिक्त सह-पाठ्यचर्या कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त विद्यार्थियों को उपरोक्त के अनुसार उपस्थिति की आवश्यकता में छूट के अलावा, यथा आवश्यकता 5% उपस्थिति की रियायत दी जाएगी। इस तरह की रियायत उस कार्यक्रम में वास्तविक भागीदारी के दिनों के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें विश्वविद्यालय के पूर्व-अनुमोदन के साथ यात्रा का समय शामिल है।

6. **मूल्यांकन**

शिक्षण और मूल्यांकन पर नियमन अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

7. **अध्ययन कार्यक्रम से विद्यार्थियों का निष्कासन :**

कुलपति संबंधित विभाग या केंद्र से किसी विद्यार्थी के असंतोषजनक प्रदर्शन के संबंध में विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/सहयोगी संस्थान के अध्यक्ष की सिफारिश की प्राप्ति पर उसे अध्ययन कार्यक्रम से निष्कासित कर सकते हैं।

अध्यादेश : 5

[विद्या परिषद द्वारा दि. 03/04/2010 को संपन्न द्वितीय बैठक में और कार्य परिषद द्वारा दि. 08/05/2010 को संपन्न द्वितीय बैठक में अनुमोदित]

एम.फिल. उपाधि अध्ययन कार्यक्रम

[अधिनियम की धारा 28(1) के अंतर्गत]

1. संबंधित विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/सहयोगी संस्थान प्रत्येक पाठ्यक्रम की सामग्री तैयार करेंगे और एम.फिल. अध्ययन कार्यक्रमों के लिए अपनाए जाने वाली पद्धति और अनुदेशात्मक उपकरणों को निर्दिष्ट करेंगे।
2. एम.फिल. पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष होगी जो कि दो सेमेस्टर में पूर्ण होगी।
3. **प्रवेश के लिए योग्यता :** प्रत्येक वर्ष में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित विभिन्न एम.फिल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड, समय-समय पर इस उद्देश्य के लिए अधिकृत विद्या परिषद/या किसी अन्य संस्था द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

4. **प्रवेश प्रक्रिया :**

(1) एम.फिल. अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सभी आवेदनों पर विद्यापीठ/विभाग/केंद्र की प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जाएगा और समिति यह सिफारिश करेगी कि (i) क्या अभ्यर्थी को केवल एम.फ़िल. अध्ययन कार्यक्रम के लिए ही भर्ती कराया जाए या (ii) क्या अभ्यर्थी को एम.फिल. अध्ययन कार्यक्रम में भर्ती कराया जाना चाहिए और पीएच.डी. अध्ययन कार्यक्रम से संबंधित अध्यादेशों में प्रदान की गई पी.एचडी. की डिग्री के लिए अनंतिम रूप से नामांकित किया जाना चाहिए।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी एम.फिल. अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य पाया जाता है, तो उसका प्रवेश संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक द्वारा प्रवेश समिति की सिफारिश पर उस कार्यक्रम में किया जाएगा।

हालांकि, यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश समिति द्वारा पीएच.डी. अध्ययन कार्यक्रम के लिए अनंतिम प्रवेश के लिए योग्य पाया जाता है, तो उसका प्रवेश भी कराया जाएगा बशर्ते कि संबंधित विद्यापीठ मंडल उसकी पुष्टि करे।

5. उपस्थिति :

(1) न्यूनतम आवश्यक उपस्थिति वास्तव में प्रत्येक पाठ्यक्रम में आयोजित की गई कक्षाओं और संगोष्ठी, सत्र और प्रयोग आदि जैसी अन्य निर्धारित अधिगम संबंधी गतिविधियों को मिलाकर 75% है।

(2) विश्वविद्यालय वैध और ठोस कारणों से अनुपस्थिति को माफ कर सकता है लेकिन 5% से अधिक नहीं, बशर्ते कि संबंधित विद्यापीठ/सहयोगी संस्थान(नों) के संकायाध्यक्ष विभाग के अध्यक्ष/केंद्र निदेशक से परामर्श कर इस आशय की सिफारिश करें।

(3) अतिरिक्त सह-पाठ्यचर्या कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त विद्यार्थियों को उपरोक्त के अनुसार उपस्थिति की आवश्यकता में छूट के अलावा, यथा आवश्यकता 5% उपस्थिति की रियायत दी जाएगी। इस तरह की रियायत उस कार्यक्रम में वास्तविक भागीदारी के दिनों के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें विश्वविद्यालय के पूर्व-अनुमोदन के साथ यात्रा का समय शामिल है।

6. एम.फिल. पाठ्यक्रम के लिए सलाहकारों की नियुक्ति

एम.फिल. पाठ्यक्रम के प्रत्येक छात्र के लिए एक सलाहकार होगा, जो संबंधित विद्यापीठ/विभाग/केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

7. लघु शोध-प्रबंध का विषय

विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले लघु शोध प्रबंध, विनिबंध या शोध पत्र का विषय, संबंधित सलाहकार के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के आधार पर विद्यापीठ/विभाग/केंद्र द्वारा अनुमोदित होगा।

8. मूल्यांकन

शिक्षण और मूल्यांकन पर नियमन अलग से अधिसूचित किया गया है।

9. अध्ययन कार्यक्रम से विद्यार्थियों का निष्कासन :

कुलपति संबंधित विभाग या केंद्र से किसी विद्यार्थी के असंतोषजनक प्रदर्शन के संबंध में विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/सहयोगी संस्थान के अध्यक्ष की सिफारिश की प्राप्ति पर उसके अध्ययन कार्यक्रम से निष्कासन को अनुमोदित कर सकते हैं।

अध्यादेश : 6

[विद्या परिषद द्वारा दि. 03/02/2012 को संपन्न पाँचवी बैठक में और कार्य परिषद द्वारा दि. 09/06/2012 को संपन्न छठी बैठक में अनुमोदित]

पी.एचडी. अध्ययन कार्यक्रम

[केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 28(1) के अंतर्गत]

अनुच्छेद :

1. प्रस्तावना
2. निर्देश और प्रबंध लेखन की भाषा
3. पीएच.डी. अध्ययन कार्यक्रमों में पंजीकरण के लिए योग्यता
4. पीएच.डी. अध्ययन कार्यक्रमों में पंजीकरण की प्रक्रिया
5. शोध निर्देशक
6. कोर्स वर्क एवं प्रगति प्रतिवेदन की प्रस्तुति
7. कोर्स वर्क के मूल्यांकन/परीक्षा के लिए प्रक्रिया

1. प्रस्तावना :

1.1. विश्वविद्यालतय में जिन अध्ययन कार्यक्रमों स्नातकोत्तर अध्ययन एवं/या शोध कार्यक्रमों के लिए प्रावधान उपलब्ध हैं, पीएच.डी. अध्ययन कार्यक्रम मानविकी/विज्ञान/समाज विज्ञान/शिक्षा इत्यादि में से किसी भी अनुशासन में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान करने के लिए आयोजित किए जाएँगे।

1.2. डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी (पीएचडी) की उपाधि उसी विद्यार्थी को दी जाएगी, जिसने मूल शोध कार्य को शोध-प्रबंध में प्रस्तुत किया है, जिसकी परीक्षक मंडल ने सिफारिश की है और मौखिकी परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण किया है।

1.3. शोध-प्रबंध यह प्रदर्शित करेगा कि विद्यार्थी विद्वत्तापूर्ण काम करने में सक्षम है। शोध-प्रबंध में प्रस्तुत किए गए शोध के परिणाम मौजूदा ज्ञान में नए तथ्यों या सिद्धांतों की खोज हो या कुछ नए संबंधों की पहले से ही ज्ञात या महत्वपूर्ण तथ्यों के सर्वेक्षणों की खोज हो, जिससे कि नई तकनीकी की विवेचना या विकास हो।

2. निर्देश और प्रबंध लेखन की भाषा :

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, पीएच.डी. अध्ययन कार्यक्रम में अंग्रेज़ी सामान्यतः शिक्षा के माध्यम के साथ-साथ शोध की भाषा भी होगी :

- भाषा विभागों में, शिक्षा का माध्यम और साथ ही शोध-प्रबंध लिखने की भाषा, विभाग की संबंधित भाषा होगी। संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति की सिफारिश पर अनुसंधान बोर्ड द्वारा ऐसी अनुमति दी जाएगी।

3. पीएच.डी. अध्ययन कार्यक्रमों में पंजीकरण के लिए योग्यता :

3.1. पीएच.डी. अध्ययन कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए आवेदक के पास संबंधित अथवा समवर्गी विषय में न्यूनतम 55% के साथ निष्णात उपाधि (दो साल की अवधि) हो और उससे पूर्व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से तीन वर्ष की अवधि की समकक्ष स्नातक उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। भारत सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों से संबंधित आवेदकों को छूट दी जाएगी।

3.2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, आवेदक को निम्न शर्तों में से किसी एक को भी पूरा करना होगा :

i) निम्न में से किसी एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो : नेट परीक्षा (यूजीसी/सीएसआईआर द्वारा आयोजित) आईसीएआर/आईसीएमआर/आदि द्वारा संचालित स्लेट, गेट या समकक्ष राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएँ।

ii) यूजीसी शिक्षक फैलोशिप धारक

iii) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की एम.फिल. उपाधि प्राप्त हो, जो कि यूजीसी (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया), विनियमन 2009 का पालन करती हो।

iv) CUTNRET उत्तीर्ण हो (CUTNRET की वैधता, एक बार उत्तीर्ण होने के बाद, परिणामों के प्रकाशन की तारीख से दो साल तक होगी)

3.3. CUTNRET आमतौर पर हर साल फरवरी और अगस्त के महीनों में आयोजित किया जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय अपने अनुसंधान कार्यक्रम की आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष में इसे दूसरी बार रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है। शैक्षिक विभागों/केंद्रों के परामर्श से, CUTNRET का प्रकार और संरचना विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। CUTNRET परीक्षा देने के लिए योग्यता उपरोक्त अनुच्छेद संख्या 3.1. के अनुसार होगी।

4. पीएच.डी. अध्ययन कार्यक्रमों में पंजीकरण की प्रक्रिया :

4.1. प्राप्त आवेदनों में से जो अनुच्छेद संख्या 3 के अनुसार योग्यता मानदंड पूर्ण करता हो, उन्हीं विद्यार्थियों को पीएच.डी. अध्ययन कार्यक्रम में शैक्षिक वर्ष में दो बार (आमतौर पर 15 सितंबर और 15 मार्च से पहले) सभी प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के बाद तथा बाद में वर्णित के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

4.2. पीएच.डी. अध्ययन कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी विद्यापीठों की प्रवेश समितियाँ, जिनके तहत एक या एक से अधिक शैक्षिक विभागों/केंद्रों में यह कार्यक्रम प्रस्तुत है, वार्षिक आधार पर अनुच्छेद सं. 5.1. के तहत निर्दिष्ट

के रूप में उपलब्ध योग्य संकाय निर्देशकों की संख्या के आधार पर पीएच.डी. के लिए पूर्व निर्धारित और प्रबंधनीय सीटों की संख्या निर्धारित करेंगी। पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए सीटों की स्वीकृत संख्या को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

4.3. पीएचडी की पेशकश करने वाले विद्यापीठों की प्रवेश समितियाँ CUTNRET में उत्तीर्ण होने के बाद के पंजीकरण सहित, पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए अधिसूचना का मसौदा तैयार करेंगी और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसे प्रकाशन के लिए भेजने से पहले प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय के शैक्षिक/परीक्षा अनुभाग द्वारा अनुमोदित करेंगी।

4.4. पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए आवेदक, उस संबंध में जारी अधिसूचनाओं के अनुसार विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष को अपेक्षित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा/गी। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज/प्रशंसापत्रों की साक्ष्य प्रतियाँ और उनके संबंधित अनुसंधान के रुचि के क्षेत्र पर एक संक्षिप्त विवरण देना होगा। आवेदकों को अलग-अलग कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र जमा करना होगा। CUTNRET में संबंधित आवेदक के योग्यता-क्रम की स्थिति के बावजूद अध्ययन कार्यक्रम के बदलाव के लिए किसी भी तरह के निवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.5. CUTNRET परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद संबंधित विभागों की प्रवेश समितियाँ आवेदनों का अनुवीक्षण करेगी और संबंधित विभागों के साथ-साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट में CUTNRET में पात्र आवेदकों की विभाग-वार सूची प्रदर्शित करेगी।

4.6. विश्वविद्यालय CUTNRET का आयोजन करेगा और योग्य आवेदकों की विभाग-वार सूची तैयार करेगा। CUTNRET में उत्तीर्ण योग्य आवेदकों और अनुच्छेद 3.2. के अनुसार CUTNRET से छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग/केंद्र की विभागीय अनुसंधान समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो साक्षात्कार में आवेदकों के प्रदर्शन के आधार पर संबंधित विभाग की प्रवेश समिति की ओर से उस विभाग/केंद्र की अंतिम योग्यता सूची तैयार करेगा। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए सभी आवेदकों को साक्षात्कार के समय उनके वृहत शीर्षक के साथ शोध रुचि पर एक लेख (लगभग 1000 शब्द) प्रस्तुत करना होगा। उनसे यह अपेक्षित होगा कि वह अपनी शोध रुचि से संबंधित क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। साक्षात्कार पूरा होने के बाद, चयनित और प्रतीक्षा-सूचीबद्ध आवेदकों की अंतिम योग्यता सूची अलग से, विभाग-वार, अनुच्छेद 4.2. के आधार पर तैयार की जाएँगी। अंतिम योग्यता सूची संबंधित विभागों द्वारा प्रदर्शित की जाएँगी और विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अधिसूचित की जाएगी। यदि किसी के द्वारा दाखिला वापसी/अन्य कारणों से सीटें खाली होती हैं, तो प्रतीक्षा-सूची से पंजीकरण सेमेस्टर की शुरुआत से 4 सप्ताह तक की जाएगी। प्रत्येक सेमेस्टर में एक नई योग्यता-क्रम सूची होगी।

4.7. अनुमोदित अंतर्ग्रहण क्षमता के अनुसार आवेदकों की पूर्व निर्धारित संख्या को अंतिम योग्यता-क्रम सूची के अनुसार पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकरण की पेशकश की जाएगी, जो आवश्यक पंजीकरण शुल्क के भुगतान के बाद पंजीकृत होंगे। इसके तुरंत बाद, विभागीय अनुसंधान समिति, पीएच.डी. शोधार्थी की शोध रुचि और शोध-निर्देशकों की प्रासंगिक विशेषज्ञता के आधार पर विभाग के संबंधित अध्यक्ष के माध्यम से शोध-निर्देशकों के नाम अनुसंधान बोर्ड के अनुमोदनार्थ सुझाएगी। पीएच.डी. शोधार्थी के लिए पर्यवेक्षकों की संख्या किसी भी समय दो से अधिक नहीं हो सकती है। चयनित आवेदकों को समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले पंजीकरण और पाठ्यक्रम कार्य के लिए अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना होगा। पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए शुल्क के भुगतान की तिथि को ही कार्यक्रम में पंजीकरण की तिथि के रूप में माना जाएगा। पीएच.डी. कार्यक्रम के शोधार्थी के पंजीकरण का कार्यकाल कार्यक्रम में अपने पंजीकरण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। जो पीएच.डी. शोधार्थी तीन वर्ष के भीतर अपना/उसका शोध-प्रबंध पूरा करने में असमर्थ है, वह अपने मूल पंजीकरण के कार्यकाल के पूरा होने से कम-से-कम तीन माह पहले पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे आवेदन को अनुसंधान बोर्ड के अनुमोदन के लिए संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति द्वारा अनुशंसित करना होगा।

शोधार्थी पुनः पंजीकरण के लिए अपने आवश्यक शुल्क का भुगतान करेगा और पुन: पंजीकरण मूल पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से एक वर्ष की एक और अवधि के लिए वैध होगा। यदि और जब कोई शोधार्थी अपना पीएच.डी. शोध-प्रबंध जमा करेगा/गी और परिणाम घोषित किए जाने के बाद, वह उस कार्यक्रम के शोधार्थी नहीं कहलाएँगे। विभागीय अनुसंधान समिति, यदि आवश्यकता हो, किसी शोधार्थी के शोध-निर्देशक और सह-शोध निर्देशक के औपचारिक अनुरोध पर, यदि कोई हो, उपयुक्त मामले में पीएच.डी. पंजीकरण को रद्द करने पर विचार कर सकते हैं और अंतिम अनुमोदन के लिए अनुसंधान बोर्ड को मामले की अनुशंसा कर सकते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित मामलों में, अध्यक्ष, विभागीय अनुसंधान समिति, पंजीकरण रद्द करने के प्रस्ताव कार्यवाही कर सकती है।

5. शोध निर्देशक :

5.1. शोधार्थी को पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकरण के बाद शोध-निर्देशक के मार्गदर्शन में काम सौंपा जाएगा। शोध-निर्देशक का आवंटन संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति द्वारा औपचारिक रूप से निम्नलिखित पर विचार कर तय किया जाएगा :

क) योग्य पर्यवेक्षक (कों) के अधीन पीएच.डी. शोधार्थी की संख्या,

ख) संबंधित पीएच.डी. शोधार्थी की शोध रुचि और

ग) योग्य पर्यवेक्षक (कों) की उपलब्ध विशेषज्ञता और कार्यक्षेत्र

विभागीय अनुसंधान समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एक शोध-निर्देशक के पास किसी भी समय आठ से ज्यादा पीएच.डी. शोधार्थी न हों, अपने सह-शोध निर्देशक के अधीन को मिलाकर (यहाँ 5.4.1, 5.4.2 और 5.4.3 में परिभाषित किया गया है) लेकिन उन छात्रों को छोड़कर, जो पहले से ही अपने शोध प्रबंध/लघु शोध-प्रबंध प्रस्तुत कर चुके हैं। असाधारण मामलों में, विभागीय अनुसंधान समिति उचित निर्णय लेगी। शोध-निर्देशक का आवंटन व्यक्तिगत शोधार्थी या शिक्षक पर नहीं छोड़ा जाएगा।

5.2. विभागीय अनुसंधान समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि किसी भी कारण, कोई भी शोधार्थी छह महीने से अधिक के लिए शोध-निर्देशक के बिना नहीं रहें। शोध-निर्देशक की अनुपस्थिति के दौरान, संबंधित विभाग/केंद्र के अध्यक्ष प्रमुख शोध-निर्देशक के रूप में कार्य करेगा, उन मामलों के अलावा, जहाँ विश्वविद्यालय के भीतर एक सह-शोध निर्देशक मौजूद है। यदि विश्वविद्यालय के भीतर एक सह-शोध निर्देशक है, तो सह-शोध निर्देशक, निर्देशक की वापसी तक सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए शोध-निर्देशक के रूप में कार्य करेगा। विभागीय अनुसंधान समिति द्वारा औपचारिक प्रतिस्थापन करने तक इस तरह की गई अस्थायी प्रतिस्थापन की व्यवस्था की जाएगी और इस अस्थायी व्यवस्था को उपरोक्त लेख 5.1. में उल्लिखित एक शोध-निर्देशक/सह-शोध निर्देशक के अधीन शोधार्थी के शोध-निर्देशन की अधिकतम अनुमत संख्या का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पीएचडी की संख्या की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

5.3. विभाग/केंद्र के अध्यक्ष को पीएच.डी. शोधार्थियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना होगा। हालांकि, इस प्रशासनिक नियंत्रण का सामान्य तौर पर संबंधित शोध-निर्देशकों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा।

5.4. शोध-निर्देशक और सह-शोध निर्देशकों की योग्यता :

5.4.1. वे सभी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर जिन्होंने पीएच.डी. की उपाधि ली है और उनके पदों में स्थायित्व पा चुके हैं, पीएच.डी. शोधार्थी के शोध-निर्देशक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र होंगे। पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सहयोगी संस्थानों/विश्वविद्यालयों के शिक्षक भी निर्देशक/सह-निर्देशक/पर्यवेक्षक बन सकते हैं।

5.4.2. ऊपर वर्णित के अनुसार प्रत्येक पीएच.डी. शोधार्थी के लिए नामित निर्देशक के अलावा, संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति, विश्वविद्यालय के एक अन्य प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर की सह-निर्देशक के रूप में नियुक्ति पर विचार कर सकती है, बशर्ते कि वह अनुच्छेद 5.1. और 5.4.1. के अनुसार पीएचडी के लिए सह-निर्देशक के रूप में योग्य हो। अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार और यदि संबंधित पी.एच.डी. शोधार्थी के शोध का क्षेत्र प्रस्तावित

सह-निर्देशक की विशेषज्ञता और कार्यक्षेत्र प्रकृति में एकसमान पाया जाता है। पीएच.डी. संख्या की गणना के उद्देश्य के लिए एक योग्य निर्देशक के अधीन, ऐसे सभी सह-निर्देशकों के कार्य की गणना भी की जाएगी। कोई भी निर्देशक, किसी भी समय में, आठ से ज्यादा पीएच.डी. शोधार्थी और पाँच एम.फिल शोधार्थियों से अधिक नहीं शोधार्थी नहीं ले पाएगा।

5.4.3. यूजीसी अनुसंधान वैज्ञानिक, समकक्ष वर्ग के व्यक्ति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विश्वविद्यालय अथवा किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में लगातार कम-से-कम पाँच वर्ष (पीएच.डी. कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए संबंधित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय) या अनुसंधान के संबंधित क्षेत्र में वैश्विक प्रतिष्ठा के विदेशी/अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को सह-निर्देशकों (उनकी सहमति के साथ) के रूप में नामित किया जा सकता है, यदि संबंधित अनुसंधान बोर्ड का मानना है कि इस तरह की नियुक्ति अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करेगी। ऐसे सह-निर्देशनाधिकार तथ्यतः तब भी प्रभावी होंगे जब सह-निर्देशक विश्वविद्यालय या संस्थान छोड़ देगा, जहाँ वह सह-निर्देशक के रूप में अपनी नियुक्ति के समय नियोजित किया गया था।

5.4.5. पीएच.डी. शोधार्थी का कोई भी निकट संबंधी निर्देशक या सह-निर्देशक के रूप में कार्य नहीं कर सकता।

5.4.6. प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर, जिन्होंने स्वयं को इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय की पीएच.डी. उपाधि के लिए पंजीकृत किया है, अपने स्वयं के पीएच.डी. छात्रवृत्ति के कार्यकाल के दौरान निर्देशक या सह-निर्देशक के रूप में योग्य नहीं होगा/होगी।

5.4.7. यदि कोई निर्देशक विश्वविद्यालय की सेवा से अपने विद्यार्थियों द्वारा शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाता/जाती है लेकिन विश्वविद्यालय के निकटवर्ती क्षेत्र में रहता/रहती है, तो सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्षों की अधिकतम अवधि तक वह निर्देशक के रूप में कार्य करना जारी रख सकता/सकती है।

5.4.8. निर्देशक और सह-निर्देशक पीएच.डी. परीक्षा प्रक्रिया में परीक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं।

6. कोर्स वर्क एवं प्रगति प्रतिवेदन की प्रस्तुति :

6.1.1. सभी पीएच.डी. कोर्स वर्क पूर्णकालिक आधार पर होगा।

6.1.2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूजीसी विनियमन, 2009 (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएँ) का अनुपालन करते हुए एम.फिल. उत्तीर्ण किए हुए विद्यार्थियों को छोड़कर, सभी पीएच.डी. शोधार्थियों को एक सेमेस्टर की अवधि के लिए कोर्स वर्क करना होगा। हालांकि, पीएच.डी. शोधार्थी ने, जिसने यूजीसी विनियमन, 2009 (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रियाएँ) का अनुपालन करते हुए, पहले अध्ययन के उसी क्षेत्र में एम.फिल. किया है, उसे कोर्स वर्क से छूट दी जाएगी और उसे संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति के समक्ष प्रस्तावित अनुसंधान के शीर्ष के साथ शोध-सार प्रस्तुत करना होगा, जो अनुच्छेद 6.2. के प्रावधानों के अनुसार उस पर प्रक्रिया करेगा।

6.1.3. कोर्स वर्क का विवरण निम्नांकित अनुच्छेद 7 के अनुसार होगा। पीएच.डी. शोधार्थी द्वारा किए जाने वाला कोर्स वर्क सामान्यतः संबंधित विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें वह पंजीकृत है। हालांकि, कोर्स वर्क विश्वविद्यालयांतर्गत किसी अन्य विभाग में भी किया जा सकता है, यदि अन्य विभाग की विभागीय अनुसंधान समिति की सहमति से, विभाग की विभागीय अनुसंधान समिति की विशेष सिफारिश पर अनुसंधान बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें छात्र पंजीकृत किया गया है। ऐसे प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए, यह अनिवार्य है कि उस पीएच.डी. शोधार्थी के प्रस्तावित शोध क्षेत्र अन्य विभाग द्वारा आयोजित कोर्स वर्क की सामग्री प्रकृति में समान या अतिव्यापी या सामान्य होनी चाहिए।

6.2. कोर्स वर्क पूरा करने के बाद, पीएच.डी. शोधार्थी को संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति के समक्ष ज्ञान की खोज के लिए प्रस्ताव में प्रस्तावित अनुसंधान विषय, प्रविधि और परिकल्पित नवीन योगदान सहित अपने अनुसंधान कार्य पर विस्तृत अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति, अनुसंधान बोर्ड के विचारार्थ अपनी सिफारिश अग्रेषित करेगा, जिसका निर्णय इन संबंधों में अंतिम होगा। शोध-प्रबंध का शीर्षक अंग्रेज़ी में और संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति और अनुसंधान बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य भाषा में भी लिखा जाएगा।

संबंधित विभागीय अनुसंधान समिति शोध विषय के शीर्षक में किसी भी संशोधन के लिए अपनी सिफारिश, यदि आवश्यक हो, तो अनुसंधान बोर्ड के विचारार्थ भेजेगी।

6.3. सेमेस्टर में सफलतापूर्वक कोर्स वर्क पूरा होने के बाद, पीएच.डी. शोधार्थी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष पूरा करने पर अध्ययन के संबंधित बोर्ड के समक्ष वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिसे उसके निर्देशक द्वारा विधिवत समर्थन दिया जाएगा। अनुसंधान बोर्ड जल्द से जल्द प्रगति रिपोर्ट का आकलन करेगा और केवल उन रिपोर्टों को, जो असंतोषजनक माने जाएँगे, संबंधित शोध निर्देशकों को उपयुक्त सलाह के साथ, विभागीय अनुसंधान समिति को अग्रेषित करेगा।

6.4. पीएच.डी. शोधार्थी को अधिनिर्णयन के लिए शोध-प्रबंध/विनिबंध प्रस्तुत करने से पूर्व किसी निर्णायक पत्रिका में एक शोध पत्र प्रकाशित करना होगा और तत्संबंधी प्रमाण के रूप में स्वीकृति पत्र या पुनर्मुद्रण का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

6.5. शोध-प्रबंध जमा करने से पहले, शोधार्थी को विभाग में पूर्व-एम.फिल./पीएच.डी. प्रस्तुति देना होगा, जो कि प्रतिपुष्टि करने और टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए, सभी संकाय सदस्यों और शोधार्थियों के लिए सार्वजनिक होगा, जो कि निर्देशक के सलाह के अनुसार शोध-प्रबंध में उचित रूप से शामिल हो सकते हैं।

7. कोर्स वर्क के मूल्यांकन/परीक्षा के लिए प्रक्रिया :

7.1. कोर्स वर्क की संरचना :

(क) तीन तरह के क्रेडिट पाठ्यक्रम हो सकते हैं, 'केवल सैद्धांतिक पाठ्यक्रम', 'केवल व्यावहारिक पाठ्यक्रम' और 'समग्र पाठ्यक्रम'। समग्र पाठ्यक्रमों में दोनों - सैद्धांतित और व्यावहारिक घटक होंगे।

(ख) पीएच.डी. कार्यक्रम के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अंकों का वितरण निम्नानुसार होंगे :

i. 'केवल सैद्धांतिक पाठ्यक्रम' के लिए

सत्रांत परीक्षा : 80

आंतरिक मूल्यांकन : 20

कुल : 100

ii. 'केवल व्यावहारिक पाठ्यक्रम' के लिए

सत्रांत प्रायोगिक परीक्षा : 80

आंतरिक मूल्यांकन : 20

iii. 'केवल समग्र पाठ्यक्रम' यथा – सिद्धांत एवं प्रयोग के लिए (70:30)

सत्रांत सैद्धांतिक परीक्षा : 50

सत्रांत प्रायोगिक परीक्षा : 50

आंतरिक मूल्यांकन : 20

कुल : 100

(ग) आंतरिक मूल्यांकन

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आंतरिक मूल्यांकन अलग-अलग रूपों के कम-से-कम दो परीक्षाओं के सतत मूल्यांकन के रूप में किया जाएगा (ट्यूटोरियल, कक्षांतर्गत उद्देश्यपरक परीक्षा, निबंध, मौखिकी, प्रश्नोत्तरी, असाइनमेंट/टर्म पेपर, कक्षांतर्गत संगोष्ठी, समूह चर्चा इत्यादि)। यह परीक्षण पूरे सेमेस्टर भर चल सकता है लेकिन यह सत्रांत परीक्षा प्रारंभ होने से 15 दिन पहले पूर्ण हो। कम-से-कम 50% परीक्षण लिखित रूप में होना चाहिए। जो विद्यार्थी सत्रांत परीक्षा में शामिल होने में विफल रहता है, लेकिन प्रत्येक पाठ्यक्रमों के आंतरिक आकलन (निरंतर मूल्यांकन) को पूर्ण कर चुका हो, विद्यार्थी के आंतरिक मूल्यांकन के अंक उसकी अगली संभावना के दौरान मान्य रहेंगे लेकिन यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित रहता है या आंतरिक मूल्यांकन में भी कम अंक लेता है या शून्यांक प्राप्त करता है, सत्र समाप्त हो जाने के बाद उसे आंतरिक मूल्यांकन के लिए पुनः अवसर की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.2. पाठ्यक्रम :

पाठ्यक्रम की अवधि : अनुच्छेद 6.12 के अनुसार

पाठ्यक्रम सं. 1 :

अनुसंधान प्रविधि और तकनीक - 4 क्रेडिट/100 अंक

पाठ्यक्रम सं. 2 :

वैकल्पिक पाठ्यक्रम (विकल्पों में चयन करना होगा - 4 क्रेडिट/100 अंक अध्ययन के क्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में कई पाठ्यक्रम हैं, जिनमें शोध की दिशा में शोध किया जाना है)

पाठ्यक्रम सं. 3 - 4 क्रेडिट/100 अंक

शोध के प्रासंगिक क्षेत्र में प्रकाशित शोध कार्य और शोध के प्रस्तावित क्षेत्र पर लिखित प्रस्तुति की समीक्षा करना। उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों में योग्यता अंक - 50%

7.2.1. पीएच.डी. कार्यक्रम में पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट या अंक का वितरण निम्नानुसार होगा : **पाठ्यक्रम सं.**	**क्रेडिट अंक**	**अंक**
1	4	100
2	4	100
3	4	100

अध्यादेश : 7

[विद्या परिषद द्वारा दि. 03/02/2012 को संपन्न पाँचवी बैठक में और कार्य परिषद द्वारा दि. 09/06/2012 को संपन्न छठी बैठक में अनुमोदित]

दीक्षांत समारोह

(परिनियम 29 के अंतर्गत)

1. क. उपाधियाँ देने के उद्देश्य से दीक्षांत समारोह सामान्य तौर पर एक वर्ष में एक बार, ऐसी तिथि और जगह पर आयोजित किया जाएगा, जैसा कि कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन तय किया जाएगा।

ख. विश्वविद्यालय के अकादमिक कैलेंडर में, पाठ्यक्रम और परीक्षा जैसे अकादमिक गतिविधियों के अलावा, उपाधि प्रदान करने की तिथि(याँ) भी शामिल हैं ;

ग. यदि आवश्यक हो, तो विश्वविद्यालय एक वर्ष में एक बार से अधिक बार उपाधि प्रदान करना निर्धारित कर सकता है और उसे अकादमिक कैलेंडर में शामिल किया जाएगा ;

घ. उपाधि प्रदान करने की तिथि, सामान्य रूप से तिथि/यों के 180 दिनों के भीतर होगी, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को अर्हता प्राप्त करने और उसके लिए योग्य होने की उम्मीद होती है ; हालांकि, विश्वविद्यालय बिना किसी शर्त के पुरस्कार की तिथि को बदल सकता है।

2. मानद डिग्री देने के उद्देश्य से विशेष दीक्षांत समारोह, ऐसे समय में आयोजित किया जा सकता है, जो कार्यकारी परिषद द्वारा तय किया जा सकता है।

3. कोलेजियम में कोर्ट, कार्य परिषद, विद्या परिषद, विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष और विभागों के अध्यक्ष सम्मिलित होंगे।

कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो डिग्री प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता करेंगे। कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, कुलपति, दीक्षांत समारोह में अध्यक्षता करेंगे।

4. दीक्षांत समारोह की सभी बैठकों के लिए कुलसचिव द्वारा कम-से-कम चार सप्ताह की नोटिस दी जाएगी।

5. कुलसचिव नोटिस के साथ, दीक्षांत समारोह के प्रत्येक सदस्य को अनुसरण की जाने वाली कार्यक्रम प्रक्रिया जारी करेंगे।

6. जिन अभ्यर्थियों ने उसी वर्ष में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है, उन्हें दीक्षांत समारोह में प्रवेश दिया जाएगा।

बशर्ते कि यह प्रथम दीक्षांत समारोह पर लागू नहीं होगा, जिसमें सभी पूर्ववर्ती वर्षों के अभ्यर्थियों को भी उनके संबंधित डिग्री में भर्ती कराया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि यदि किसी वर्ष में दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया गया तो कुलपति औपचारिक दीक्षांत समारोह की प्रतीक्षा किए बिना उम्मीदवारों को डिग्री के लिए निर्धारित शुल्क भुगतान करने पर अभ्यर्थियों को संबंधित निर्धारित डिग्री प्रदान करने के लिए सक्षम होंगे।

डिग्री के इस तरह के प्राप्तकर्ताओं को सामान्यत: सामान्य प्रबोधन पर हस्ताक्षर करेंगे, जिन पर उन्हें सामान्य रूप से आयोजित दीक्षांत समारोह में करना होता है।

बशर्ते कि यदि किसी विशेष वर्ष में दीक्षांत समारोह आयोजित नहीं किया जाता है, तो कुलपति को उन सभी योग्य उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए अधिकृत करना होगा, जो अगले दीक्षांत समारोह में दी जानेवाली डिग्री के माध्यम से संबंधित निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अपनी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं।

बशर्ते कि जो लोग अनुपस्थिति में अपनी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि दीक्षांत समारोह नियमित रूप से आयोजित किया जाता है, तो ऐसा सामान्य शुल्क के भुगतान के बाद किया जा सकता है।

7. क. जो अभ्यर्थी डिग्री लेना चाहता है, उसे इस उद्देश्य के लिए निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित तिथि को या उससे पूर्व प्रत्यक्ष रूप से डिग्री लेने के लिए अपना आवेदन कुलसचिव को जमा करना होगा।.

ख. विश्वविद्यालय निर्धारित तिथि/यों से कम-से-कम 30 दिन पहले डिग्री प्रदान करने के कार्यक्रम को सूचित करेगा ताकि उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकें :

8. यदि अभ्यर्थी प्रत्यक्ष रूप में दीक्षांत समारोह में आने में असमर्थ हैं, कुलाधिपति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में डिग्री लेने के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी या उनकी अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा और उनके डिप्लोमा कुलसचिव द्वारा आवेदन के आधार पर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने के बाद दिए जाएँगे।

9. दीक्षांत समारोह में प्रत्यक्ष में डिग्री लेने के लिए फीस समय-समय पर निर्धारित होगी।

10. मानद डिग्री केवल दीक्षांत समारोह में प्रदान की जाएगी और वह प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष में ली जा सकती है।

11. दीक्षांत समारोह में जिन व्यक्तियों को मानद डिग्री प्रदान की जाती है, उनकी प्रस्तुति कुलपति या उनके नामांकित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।.

12. दीक्षांत समारोह में अभ्यर्थियों को अपनी संबंधित डिग्री के लिए उपयुक्त गाउन और हुड पहनना होगा, जो कार्यकारी आदेशों द्वारा निर्दिष्ट किए जाएँगे। जो अभ्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उचित अकादमिक पोशाक में नहीं है, दीक्षांत समारोह में भर्ती नहीं कराया जाएगा।

13. दीक्षांत समारोह में डिग्री प्रदान करने के लिए, अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से कुलाधिपति या उनकी अनुपस्थिति में कुलपति के समक्ष उनके संबंधित डिग्री के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

संबंधित स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्ष कला निष्णात और विज्ञान निष्णात अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करेंगे।

पदक और पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का नाम कुलसचिव या कुलपति द्वारा नामांकित व्यक्ति द्वारा पढ़े जाएँगे।

कुलसचिव या इस प्रयोजन के लिए नियुक्त व्यक्ति अप्रत्यक्ष में डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को पेश करेंगे।

दीक्षांत समारोह समाप्त होने के बाद कुलपति द्वारा निर्धारित तरीके से अभ्यर्थियों को डिग्री प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएँगे।

14. कुलाधिपति, मुख्य अतिथि, कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष, विभागों के अध्यक्ष और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विशेष वस्त्र पहनेंगे और दीक्षांत समारोह के संचालन के लिए आगे की प्रक्रिया कार्यकारी आदेशों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

15. भारत के कोई भी केंद्र मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री, लोकसभा/राज्य विधान मंडल/संघ राज्य विधान मंडल के अध्यक्ष, जब भी दीक्षांत समारोह में शामिल होते हैं, उन्हें उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार विशेष वस्त्र प्रदान किए जाते हैं, जैसा कि कुलपति द्वारा व्यक्तिगत मामलों में और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों/अधिकारियों के लिए तय किया जाता है, वे अपने शैक्षिक वस्त्रों के साथ दीक्षांत समारोह में शामिल हो सकते हैं।

अध्यादेश : 8

[विद्या परिषद द्वारा और कार्य परिषद द्वारा दि. 28/05/2011 को संपन्न चतुर्थ बैठक में अनुमोदित]

विश्वविद्यालय द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों/प्राधिकरण/संस्थानों के साथ मान्यता और सहयोग की प्रणाली

[अधिनियम की धारा 6 (1) (vii), (x) एवं 28 (1) (के)]

प्रस्तावना

1. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, (2009) की धारा 6 (1) (vii), विश्वविद्यालय को इस तरह के उद्देश्यों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने का अधिकार देती है, जो कि विश्वविद्यालय निर्धारित कर सकता है और ऐसे मान्यता को वापस भी ले सकता है।
2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, (2009) की धारा 6 (1) (x) विश्वविद्यालय को "विदेशों में स्थित संस्थानों सहित किसी भी विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्च शिक्षा संस्थान के साथ सहकारिता या सहयोग करने के अधिकार देती है" ऐसी स्थिति में और ऐसे प्रयोजनों को विश्वविद्यालय निर्धारित कर सकता है।
3. अधिनियम की धारा 28 (1) (के) में "अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य प्रबुद्ध निकायों और संगठनों सहित अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग और सहयोग की प्रक्रिया" के लिए अध्यादेश निर्धारण के प्रावधान किए गए हैं।
4. उपरोक्त के संदर्भ में, तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों के साथ मान्यता और सहयोग करने का प्रस्ताव रख सकता है, जिनमें ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में विशेष क्षमता है, जो कि विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए लाभप्रद क्षेत्रों में निर्देश और अनुसंधान को संपन्न और सुदृढ़ बनाने की विशेष क्षमता रखते हैं।

इसलिए यह अध्यादेश है।

I. मान्यता के लिए योग्यता

1. ऐसी संस्थाएँ जिन्होंने शिक्षा और शोध में उत्कृष्टता और शैक्षिक योग्यता को सिद्ध किया है और कम-से-कम दस वर्ष की कार्यनिर्वाह क्षमता के ट्रैक रिकॉर्ड को सिद्ध किया है, विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करने के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि ऐसी संस्थाएं देश के भीतर या दुनिया के अन्य देशों में कहीं भी स्थित हो सकती हैं।

बशर्ते कि ऐसे निकाय सरकार या अन्य एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित हो सकते हैं, सिवाय इसके कि वे मुनाफा बनाने वाले निकाय नहीं होंगे और वित्त पोषण का स्रोत कानूनी और सरकारी अनुमोदित माध्यमों के माध्यम से होगा।

2. साबित की हुई उत्कृष्टता और अकादमिक योग्यता, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित बातों के आधार पर घोषित की जाएगी :

   i. संस्थान में पूर्णकालिक योग्य कोर संकाय होंगे, जिसमें कम-से-कम चार पूर्णकालिक शिक्षक होंगे और जिन्हें न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि तक यूजीसी/एआईसीटीई का वेतनमान प्राप्त है और उन्होंने कम-से-कम 5 शोध पत्र और/या अपनी पीएचडी के बाद आईएसएसएन/आईएसबीएन नंबर वाले कम-से-कम दो किताबें राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की पत्रिकाओं/प्रकाशन घरों में प्रकाशित किए हो।

   ii. संस्थान के पास अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रयोगशाला सुविधा और पुस्तकालय के साथ अपनी स्वयं की इमारत होगी और पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में अनुसंधान पत्रिकाएँ, संदर्भ पुस्तकें, उन्नत पाठ्य-पुस्तकों के साथ-साथ इंटरनेट की सुविधा या देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उपयोग की जाने वाली ऐसी आधुनिक उपकरण/सुविधाएं शामिल होंगी।

   iii. संस्थान में अनुसंधान गतिविधियों को निधि देने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होंगे।

II. मान्यता और पहचान के नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया

1. ऐसी कोई भी संस्था जो विश्वविद्यालय से संबद्ध होने की इच्छा रखती है, विश्वविद्यालय को निर्धारित प्रारूप में पैरा 2 (I) में निर्दिष्ट प्रमाण स्वरूप सहायक दस्तावेज़ों के साथ ऐसा करने के मंतव्य को लिखित में प्रस्तुत करें।

2. ऐसे सभी अनुरोध कुलसचिव द्वारा प्राप्त किए जाएँगे और विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष और प्रोफेसरों की समिति के समक्ष रखे जाएँगे जो कि निम्नानुसार बनी होगी और आम तौर पर एक साल में दो बार मिलेगी :

प्रति कुलपति अथवा कुलपति के नामित सदस्य	—अध्यक्ष
विद्यापीठों के सभी संकायाध्यक्ष	—सदस्य
संबंधित विभागों/केंद्रों के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर, जिनके निर्देश-क्षेत्र में प्रस्तावित सहयोग होना है	—सदस्य
कुलसचिव	—सदस्य सचिव

सदस्यों के 50% से कोरम बनेगा।

सभी निर्णय वर्तमान सदस्यों के कम से कम 75% की आम सहमति से लिए जाएँगे।

3. उपरोक्त समिति उन निवेदनों पर विचार करेगी और कुलपति के पास इस मामले में मान्यता के लिए अनुशंसा करेगी, जिसके आधार पर संस्थान के द्वारा दावा किए गए तथ्यों का भौतिक निरीक्षण और सत्यापन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति को नामांकित किया जाएगा।

4. समिति विश्वविद्यालय की निधि के आधार पर संस्था का दौरा करेगी और ऊपर पैरा 2 (I-IV) के पैरामीटर की तर्ज पर मान्यता के लिए उस मामले का आकलन करने के लिए संस्था का भौतिक सत्यापन करेगी। ऐसा करने के बाद, वह

समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जो उस मामले के संबंध में कुलपति को उचित अनुशंसा करेगी, जो अपनी राय के साथ, इस मामले पर निर्णय के लिए वैधानिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

5. मान्यता सामान्य रूप से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और बशर्ते कि उसकी मध्य-अवधि में समीक्षा होगी, जिसकी विधि और समय विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा।

6. मान्यता को पाँच साल के बाद अगले प्रत्येक पाँच साल लिए बढ़ाया जा सकता है।

   (क) बशर्ते कि मान्यता अवधि की समाप्ति के कारण निर्देश और अनुसंधान कार्यक्रम की निरंतरता में बाधा नहीं होगी।

   (ख) बशर्ते कि मान्यता प्राप्त अवधि के अंतिम छह महीनों के दौरान विश्वविद्यालय के द्वारा सामान्य रूप से किसी अनुदेशात्मक सेमेस्टर के अनुसंधान करने या नवीनतः आरंभ करने के लिए कोई नया पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

7. मान्यता के पुन: मान्यता/नवीकरण के लिए निवेदन अवधि की समाप्ति की तिथि से कम-से-कम 6 महीने पहले प्राप्त होना चाहिए और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उसी प्रक्रिया के अनुसार जाँच की जाएगी।

8. विश्वविद्यालय किसी तत्काल प्रभाव से ऐसी मान्यता को वापस लेने का अधिकार आरक्षित करेगा, यदि कालांतर में तथ्यों में किसी भी तरह का मिथ्याकरण पाया जाता है या कोई भी तथ्य प्रकाश में आता है, जो कि शैक्षणिक प्रत्यायक के मामले में संस्था की विश्वसनीयता या आचरण के लिए हानिकारक है।

9. सभी कानूनी विवाद तिरुवारूर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

III. सहयोग / सहकारिता की प्रणाली और अन्य विवरणों का ब्यौरा

1. विश्वविद्यालय या तो अनुदेशात्मक या शोध के प्रयोजन या दोनों के लिए किसी संस्था के साथ सहयोग करने का चयन कर सकता है।

2. बशर्ते उपरोक्त में से किसी एक के मामले में, विद्यार्थियों को मौजूदा नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती और जाँच कराई जाएगी।

3. विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क निर्धारित एवं एकत्रित की जाएगी, जो कि पारस्परिक समझौते के बाद संस्था द्वारा समान रूप से साझा की जा सकती है।

4. मार्गदर्शक/शोध निर्देशकों को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों और विनियमों के अनुसार नियुक्त/मान्यता प्रदान की जाएगी।

5. यदि संस्थान का कोई शिक्षक अनुसंधान या शिक्षा की अवधि के मध्य-अवधि में सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसकी सेवाओं का सामान्य रूप से सेमेस्टर के अंत तक उपयोग किया जाएगा, जिसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त प्रतिस्थापन किया जाएगा।

6. संस्थान में विद्यार्थियों/शोधार्थियों के बैच के निवास के समय का निर्णय संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा।

   हालांकि निवास की अधिकतम अवधि निम्नानुसार नियंत्रित की जाएगी :

5 वर्षीय एकीकृत एवं पीएच.डी. कार्यक्रमों के लिए	3 गैर-क्रमागत सेमेस्टर
3 वर्षीय परास्नातक कार्यक्रम के लिए	2 गैर-क्रमागत सेमेस्टर
स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए	2 गैर-क्रमागत सेमेस्टर
एम.फिल कार्यक्रम के लिए	1 सेमेस्टर

जो कोई विषय विशेष रूप से ऊपर निर्दिष्ट न हुआ हो, वह विश्वविद्यालय के मौजूदा नियमों और समय-समय पर संशोधित के अनुसार नियंत्रित होगा।

अध्यादेश : 9

[विद्या परिषद द्वारा और कार्य परिषद द्वारा दि. 28/05/2011 को संपन्न चतुर्थ बैठक में अनुमोदित]

विद्यार्थियों के बीच अनुशासन का निर्वाह

(अधिनियम की धारा 28(1)(o) के अंतर्गत)

1. अनुशासन में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा अच्छे आचरण और व्यवस्थित व्यवहार का पालन करना शामिल है।

2. विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित और समय-समय पर तैयार किए गए ऐसे अन्य नियमों का पालन विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा किया जाएगा।

   (क) विश्वविद्यालय का हर विद्यार्थी अनुशासन बनाए रखेगा और उसे सभी जगहों पर ठीक से व्यवहार करने के लिए अपना कर्तव्य समझेगा/गी। पुरुष विद्यार्थी, विशेष रूप से, महिला विद्यार्थियों के प्रति उचित शिष्टाचार और सम्मान दिखाएगा।

   (ख) कोई भी विद्यार्थी कुलानुशासक द्वारा "आउट ऑफ बाउन्डस" घोषित स्थानों या क्षेत्रों में नहीं जा सकता है।

   (ग) प्रत्येक विद्यार्थी हमेशा कुलानुशासक द्वारा जारी किया पहचान पत्र अपने साथ रखेगा।

   (घ) प्रत्येक विद्यार्थी, जिसे पहचान पत्र जारी किया गया है, जब कभी आवश्यकता हो, विश्वविद्यालय के कुलानुशासक के कर्मचारी, शैक्षिक और ग्रंथालयकर्मी तथा अन्य अधिकारियों द्वारा माँगे जाने पर दिखाना या देना होगा।

   (ङ) प्रतिरूपण या ग़लत नाम देने में दोषी पाया गया विद्यार्थी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

   (च) पहचान पत्र की हानि, जब भी ऐसा होता है, तत्काल कुलानुशासक को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

   (छ) यदि कोई छात्र लगातार बिना किसी सूचना के एक या अधिक कक्षाओं में 15 दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित पाया जाता है, उसका नाम रोल से हटा दिया जाएगा। हालांकि, अगले पखवाड़े में निर्धारित पुनःप्रवेश शुल्क के भुगतान पर संकायाध्यक्ष द्वारा पुनः भर्ती कराया जा सकता है। उसे निर्धारित अवधि के बाद पुनःभर्ती किया जा सकेगा।

3. अनुशासन के उल्लंघन, अंतराल में शामिल होगा :

   i. उपस्थिति में अनियमितता या सौंपे गए काम में स्थिर निष्क्रियता या लापरवाही या उदासीनता।

   ii. कक्षा या कार्यालय या ग्रंथालय, प्रेक्षागृह और क्रीड़ा मैदान इत्यादि में गड़बड़ी करना ;

   iii. शिक्षकों या अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन करना ;

   iv. छात्र संगठनों के चुनाव के समय या विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्या या अतिरिक्त पाठ्यचर्या वाली गतिविधियों के दौरान या बैठक के दौरान किसी भी प्रकार का दुरुपयोग या दुर्व्यवहार।

   v. परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का दुरुपयोग या दुर्व्यवहार।

   vi. किसी शिक्षक या विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी भी आगंतुक के प्रति किसी भी प्रकार का दुरुपयोग या दुर्व्यवहार।

   vii. विश्वविद्यालय की संपत्ति/उपकरण को क्षति, ख़राब या विरूपित करना ;

   viii. दूसरों को उपरोक्त में से कोई कार्य करने के लिए उकसाना ;

   ix. छात्रों के बीच भ्रामक बातों या अफवाहों का प्रचार करना ;

   x. छात्रावास के निवासियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, शरारत और/या उपद्रव ;

   xi. कुलानुशासक द्वारा छात्रों के लिए घोषित सीमा स्थानों या क्षेत्रों में जाना ;

   xii. कुलानुशासक द्वारा जारी पहचान पत्रों को साथ नहीं ले जाना ;

xiii. विश्वविद्यालय के कुलानुशासक और अन्य कर्मचारियों द्वारा जब आवश्यक हो पहचान पत्र दिखाने या समर्पण करने से इनकार करना ;

xiv. रैगिंग के कोई भी कार्य

xv. कहीं पर भी किसी भी तरह का अन्य आचरण, जिसे किसी भी छात्र के लिए अशोभनीय माना जाता है।

4. अनुशासन का उल्लंघन में दोषी पाए गए छात्र इस तरह के दंड के लिए जिम्मेदार होंगे, जैसा कि नीचे निर्धारित है ;

(1) जुर्माना

(2) परिसर में प्रतिबंध

(3) निर्वासन, और

(4) निष्कासन

हालांकि, किसी अनुशासनार्थी छात्र को ऐसी कोई सजा नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसे अपना बचाव करने का उचित मौका नहीं दिया जाता है। यह कुलपति को उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की लंबित अवधि के दौरान एक शरारती छात्र को निलंबित करने से रोक नहीं सकता।

5. छात्र के संबंध में अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियाँ, कुलपति में निहित होंगी। हालांकि, कुलपति अपने सभी या उनकी किसी भी शक्ति का प्रतिनिधित्व, विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की जो भी प्रक्रिया है, के अनुसार कुलानुशासक या अनुशासनिक प्राधिकारी जो भी उचित माना जाएगा, को देंगे।

6. निम्नलिखित सदस्यों की एक अनुशासन समिति होगी -

(क) कुलपति – अध्यक्ष

(ख) प्रति कुलपति

(ग) संकायाध्यक्ष – विद्यार्थी कल्याण

(घ) कुलानुशासक

(ङ) विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष

(च) वार्डन, जब उसके छात्रावास/रसोई से संबंधित मामले को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, उसे आमंत्रित किया जाएगा, तथा

(छ) कुलसचिव (सदस्य सचिव)

I. बशर्ते कि अधिनियम और परिनियम द्वारा कुलपति को यह शक्ति प्राप्त हो, समिति को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अनुशासन और उचित व्यवहार के मानदंडों से संबंधित सभी मामलों का संज्ञान लेना होगा और उन पर दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार होगा।

II. उस समिति को ऐसे नियम बनाना होगा, जोकि अपने कार्यों के निष्पादन के लिए उपयुक्त हैं और इन नियमों और उनके तहत किसी अन्य आदेश को विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर बाध्यकारी किया जाएगा।

III. अनुशासन समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में अनुशासन समिति को अपने फैसले की समीक्षा करने का अधिकार है।

IV. उक्त समिति की बैठक के लिए कुल सदस्यों का एक-तिहाई सदस्य कोरम का गठन करेगा।

डॉ. एस. भुवनेश्वरी, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./491/16]

CENTRAL UNIVERSITY OF TAMIL NADU

(Established by an Act of Parliament, 2009)

NOTIFICATION

Thiruvarur, the 29th March, 2017

No. CUTN-10(1)/2012-Legal.—The following is published for general information :—

FIRST ORDINANCES

ADMINISTRATION ORDINANCE	
Ordinance No.	**Title**
3	General Provident Fund & Pension
ACADEMIC & EXAMINATIONS ORDINANCES	
1	Department of Studies and their current assignments
2	Admission of Students to the University
3	Fees payable by the Students of the University
4	B.Sc., B.S., B.A., M.A., M.Sc. Degree Programmes and P.G. Diploma Programmes
5	M.Phil. Degree Programme
6	Ph.D. Programme
7	Convocation
8	Manner of Recognition & Collaboration by the University with other Universities/Authority/Institutions
9	Maintenance of Discipline among Students

ADMINISTRATION ORDINANCE

ORDINANCE: 3

[Approved by the Executive Council in its fourth meeting on 28/5/2011]

GENERAL PROVIDENT FUND & PENSION

[Under 28[o] of the Act]

All teaching and Non-Teaching employees of the University who have joined Central Government/ University service after 1st January 2004 shall be governed by the New Pension Rules as per provision of Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 05/07/2003 issued by the Ministry of Finance (GOI) read with the provisions of Notification No. F. No.1 (7) (2) / 2003 / TA / 11, dated 07/01/2004 and OM No. 1 (7) (2) / 2003 / TA / 67-74 dated 04/02/2004 and as per subsequent amendments made from time to time.

ACADEMIC AND EXAMINATIONS ORDINANCES

ORDINANCE: 1

[Approved by the Academic Council in its Second Meeting held on 3/4/2010 and by the Executive Council in its Second Meeting held on 8/5/2010]

DEPARTMENT OF STUDIES AND THEIR CURRENT ASSIGNMENT

[Under Section 26(k) read with Statute 15(5) (a) of the Central University Act, 2009]

1. The School of Social Sciences and Humanities shall consist of the following Departments now assigned to it:

(i) Department of Tamil.

(ii) Department of English.

(iii) Department of Regional Studies.

2. The School of Basic and Applied Sciences shall consist of the following Departments now assigned to it:

(i) Department of Physics.

(ii) Department of Chemistry.

3. The School of Mathematics and Computer Sciences shall consist of the following Departments now assigned to it:

(i) Department of Mathematics.

ORDINANCE: 2

[Approved by the Academic Council in its Second Meeting held on 3/4/2010 and by the Executive Council in its Second Meeting held on 8/5/2010]

ADMISSION OF STUDENTS TO THE UNIVERSITY

[Under Sections 6(1)(xviii), 6(2)(i) & (ii),7 and 28(1)(a) of the Act]

1. No candidate shall be eligible for admission to any Programme of study in the University unless he/she has passed the examination prescribed by the University,as condition of eligibility for admission to the concerned programme.

2. Application form for admission to the various programmes offered by University shall be as prescribed by Academic Council / or any other body, from time to time. In respect of collaborating Institutes with which the University has a formal MOU or those institutes which have been recognized in accordance with the provisions of the Act, the application form will be suitably modified.

3. The last date of admission to the various programmes of the University shall be as fixed each year by the Academic Council.

4. The number of candidates to be admitted in the various programmes of the University shall be as prescribed each year by the Academic Council

5. Admissions to the Graduate, Post Graduate, M.Phil, Diploma, PG Diploma Programmes shall be made by the Admission Committee as constituted by the respective School or Department/Centre. The Admission Committee shall consist of the Dean/Head of the Department/ Director of Centre and two senior most members of the staff of the concerned department. However, when necessary the VC may constitute a suitable admission Committee. Its composition and functions shall be as decided by Vice Chancellor.

6. Admission to the programme leading to the Doctor of Philosophy shall be considered by the School Board of the School concerned. In respect of admission to such programme through the mentoring

Institutions, the School Board will also consider the recommendations of the guides, who will examine the specific statement of purpose articulated by the candidate, for acceptance.

7. In the case of collaborating Institutes, in addition to the admission Committee of the Institutes, a nominee of the Vice Chancellor will be a member of the admission Committee.

8. Such candidates who satisfy the requirement of eligibility may be considered for admission on the basis of the academic record, and / or performance of the candidate at any entrance test/viva voce as may be prescribed in respect of each programme. Candidates shall be admitted to the various programmes in order of merit. No candidate shall claim admission as a matter of right.

9. Only such candidates, who have passed an examination of an Indian University incorporated by any law for the time being in force, or such other examination as has been recognized equivalent, shall be eligible for admission. The equivalence of foreign degrees /courses will be determined by the University in consultation with the Department in which the student is seeking admission.

10. In the respect of admission to supernumerary seats reserved by the Government of India for candidates from backward states and foreign countries, their admission will be governed by the guidelines of the Government of India. However the total number of such supernumerary seats shall not exceed 5% of the total intake of the University in that year of admission.

11. Notwithstanding anything contained in the provisions relating to admission, including admission to the programmes in which the University has an MOU with collaborating Institutes, the University may make special provisions for the admission of women, persons with disabilities or persons belonging to the weaker sections of the society and in particular, of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe, and other socially and educationally backward classes of citizen. Such special provisions shall be as prescribed by regulations from time to time.

12. No candidate shall ordinarily be admitted to more than one programme at a time. However, Students may be permitted by the University, in consultation with the concerned Dean of the School/Director of the Centre, to pursue a part-time/evening Certificate / Diploma programme of professional nature in other Institutions. Pursuing such studies should not interfere with the academic activities of the student in the University. Permissions can be withdrawn by the University if it is found to interfere in the academic activities of the students in the University.

13. All candidates at the time of admission shall submit a medical fitness certificate from an Authorized Medical Practitioner/Asst. Civil Surgeon.

14. A candidate shall be enrolled in a programme in a School on his admission as a student of the University and after paying the prescribed fee .For self-supporting and self-financing programmes, the fees will be determined by the University after detailed working of the economics of the running of the programmes.

15. If at any time it is found that a candidate has made a false or incorrect statement or has made use of other fraudulent means on the basis of which he has secured his admission, his name shall be removed from the rolls of the University forthwith.

ORDINANCE: 3

[Approved by the Academic Council in its Second Meeting held on 3/4/2010 and by the Executive Council in its Second Meeting held on 8/5/2010]

FEES PAYABLE BY THE STUDENTS OF THE UNIVERSITY

[Under Section 28(1)(e) of the Act]

1. The Executive Council on the recommendations of the Academic Council shall, from time to time prescribe the fees payable by students of the University for various purposes.

2. All the Students admitted to various programmes of studies shall pay the fees as prescribed at the time of admission and for the subsequent semesters within the date notified by the University.

3. **Delay or default in payment:**

(1) If a student does not pay fee on time, fine shall be levied as follows:

(i) 10% of the fees for the first 10 days from the last day for payment.

(ii) 20% of the fees for the next 10 days

(iii) 30% of the fees for the next 10 days.

(2) The Vice-Chancellor, or, on his behalf any other officer to whom his power has been delegated may on the recommendations of the Dean of the School concerned, condone the delay or reduce the fine to be paid by the student in special cases provided the student concerned submits a written application stating the reasons for late payment of fee. Such applications should be submitted at least one week before the due dates.

(3) Names of the defaulters shall be removed from the rolls of the University on expiry of 30 days from the notified last date for payment of fee.

(4) A student whose name has been struck off from the rolls of the University may be re-admitted on the recommendations of the Dean of the School concerned and on payment of arrears of fees and fines in full and other dues, together with a re-admission fee as fixed by the University. However, such re-admission shall be within the same semester and subject to the student fulfilling the minimum attendance requirement.

(5) Whenever a student proposes to withdraw from the University, he shall submit an application to the Dean of the School concerned through the Head of the Department / Centre intimating the date of his / her withdrawal. If he fails to do so, his name shall continue to be kept on the rolls of the University for a maximum period of one month following the month up to which he has paid the fees. He shall also be required to pay all fees/charges that may fall due during this period.

4. **Exemption to Blind students:**

Blind students shall be exempted from payment of all fees.

5. **Concession in fee:**

(1) Concession in fees, Grant of free ship and percentage of free ship will be governed by the regulations of University Grants Commission as amended from time to time.

(2) Free ships granted during the academic year shall not be renewed automatically in the following year. The Students in need of such concession shall submit fresh applications every year, which shall be considered along with new applications received in the year.

(3) A free ship granted to a student may be cancelled if his conduct or progress in studies is found to be unsatisfactory.

(4) Fees concession for SC/ST or to any other category of students shall be as per Govt. of India directives.

6. **Refund of fees, security deposit etc:**

(1) If, after having paid the fees, a student desire to discontinue, he shall submit an application for withdrawal. If such application is received by the Registrar at least five days before the commencement of the academic session concerned he shall be refunded all fees and deposits except registration fee.

(2) If after having paid the fees, a candidate does not join the University and if his application for withdrawal is received by the University after the commencement of the academic session but before the closure of admission, he shall be refunded all fees and deposits deducting 25% of the tuition fee in addition to registration fee.

(3) Application for withdrawal received after the closure of admission for the academic session would entitle a student for the refund of Security Deposit / Caution Money only.

(4) Security deposit or caution money are refundable, on an application from the student on his / her leaving the University, after deducting all dues, fines and other claims against him.

(5) If any student does not claim the refundable portion of any amount lying to his / her credit within one calendar year of his leaving the University, it shall be considered to have been forfeited by him to the Students' Aid Fund. The period of one year shall be reckoned from the date of announcement of the result of the examination last taken by the student or the date from which his name is struck off from the rolls of the University.

(6) If a student owes any money to the University on account of any damage he may have caused to the University property, it shall be deducted along with outstanding Tuition Fee and fines, from the Security Deposit due to him.

7. **The fees and Hall ticket for Examinations**

(1) The examination fee payable by the students shall be fixed by the University.

(2) A student shall not be issued Hall Ticket or admitted to the Examinations unless he has cleared his dues and paid the examination fee.

8. **Fees for re-checking Examination results:**

(1) The fees for re-checking examination results shall be as fixed by the University.

(2) The fees for rechecking shall be refunded to the candidate if, on re- checking the result, any error or omission is discovered in the result notified by the University.

9. **Fees for the supply of Statement of Marks:**

(1) Every student shall pay along with the examination fee, a fee as fixed by the University for Supply of statement of marks for each examination.

(2) The statement of marks shall be sent to the candidates through the Head of the Department / Centre concerned.

10. **Fees**

The fees for admission, readmission, registration, examination, rechecking, mark sheet, transfer certificate, provisional certificate, Degree certificate, bonafide certificate or any other certificate and duplicate copies of certificates will be as per the Schedule issued by the University from time to time.

ORDINANCE: 4

[Approved by the Academic Council in its Second Meeting held on 3/4/2010 and by the Executive Council in its Second Meeting held on 8/5/2010]

B.Sc., B.S., B.A, M.A., M.Sc. Degree Programmes and P.G. Diploma Programmes

[Under Section 28(1) of the Act]

1. All the courses of study leading to award of respective degrees / diplomas shall be conducted by the School / Departments / Centers established by and functioning in the university or in the collaborating Institute with which the university has entered into an MOU.

2. **Duration of the course**

(1) Admission to the Integrated Programmes leading to Masters in Arts, Science, Technology, Performing Arts and other disciplines shall be made and the duration of such courses shall be five years in semester pattern. The university may provide exit option to students on their request after successful completion of 3rd and 4th years and award graduate degree as determined by the University.

(2) The duration of all graduate degree programmes shall be as prescribed from time to time in semester pattern.

(3) The duration of all post graduate programmes, shall be two years or as prescribed from time to time in semester pattern. This is applicable for those admitted directly into PG degree programmes of the university with respective qualifying Bachelor's degree from recognized universities and Institutes of Higher Education.

(4) The duration of Certificate/Diploma/PG diploma programmes shall be as prescribed by the University from time to time in semester pattern. This is applicable for those who are admitted directlyto Certificate/Diploma/PG Diploma programme of the university with qualification as determined by the University from recognized universities and Institutes of Higher Education for each of the Certificate/Diploma/PG Diploma programme.

3. Eligibility for admission

The eligibility criteria for admission to various courses offered by the University in each year shall be as approved by the Academic Council or any other body authorized for the purpose from time to time.

4. Courses of study and framing of the syllabi:

(1) The Courses in a Programme shall be those approved by the respective Board of School, on the recommendations of the Department/Centre or by collaborating Institute(s);

(2) The content of each course shall be those approved by the respective Board of School/ Collaborating Institute(s)/Departments/Centres;

(3) Reading and learning material for each course shall be as prescribed by the School/ Department/ Centre/collaborating Institute(s) concerned.

5. Attendance

(1) The minimum required attendance is 75% of the classes actually held and other prescribed learning activities such as seminars, session and practical section each course.

(2) The University may for valid and convincing reasons condone the shortage in attendance not exceeding 5 per cent, provided that the Dean of the School concerned/Collaborating Institute(s) makes a recommendation to this effect after consulting the Head of the Department/Director of the Centre.

(3) The students deputed by the University to take part in the extra co-curricular events shall be given a concession of up to 5% attendance, if necessary, in addition to the relaxations in the attendance requirement as provided above. Such concession would be available for the days of actual participation in the event, including journey time with the prior approval of the University

6. Evaluation

Regulation on Teaching and evaluation shall be as notified separately

7. **Removal of Students from the Programme:**

The Vice Chancellor may approve removal of a student from the Programme on receipt of a recommendation of the Dean of a school/Heads of the Department/Director of Centre/Head of collaborating Institute, on a reference from a Department or Centre concerned of unsatisfactory performance of the student.

ORDINANCE: 5

[Approved by the Academic Council in its Second Meeting held on 3/4/2010 and by the Executive Council in its Second Meeting held on 8/5/2010]

M.Phil. DEGREE PROGRAMME

[Under Section 28(1) of the Act]

1. The School/Department/Centre/Collaborating Institutes concerned shall prescribe the content of each course and shall specify the methodology and instructional devices to be adopted for M.Phil Programmes.

2. The duration of the M.Phil course shall be one year spread over two semesters.

3. **Eligibility for Admission:** The eligibility criteria for admission to various M.Phil courses offered by the University in each year shall be as approved by the Academic Council/or any other body authorized for the purpose from time to time.

4. **Procedure of Admission:**

(1) All applications for admission to M.Phil Programme shall be considered by the Admission Committee of the School/Department/Centre, and the committee shall recommend (i) whether the candidate should be admitted only to the M.Phil Programme, or (ii) whether the candidate should be admitted to the M.Phil Programme and also provisionally enrolled for Ph.D degree as provided in the Ordinances relating to the Ph.D. Programme.

(2) If a candidate is found fit for admission to the M.Phil Programme, his admission shall be made to that Programme on the recommendation of the Admission Committee by Dean/Head of the Department/Director of Centre. However, if a candidate is found fit for provisional admission for Ph.D course by the admission committee, his admission shall be made subject to confirmation by the Board of the School concerned.

5. **Attendance:**

(1) The minimum required attendance is 75% of the classes actually held and other prescribed learning activities such as seminars, sessionals and practicals etc. in each course.

(2) The University may for valid and convincing reasons condone the shortage in attendance not exceeding 5 per cent, provided that the Dean of the School concerned/Collaborating Institute(s) makes a recommendation to this effect after consulting the Head of the Department/Director of the Centre.

(3) The students deputed by the University to take part in the extra co-curricular events shall be given a concession of up to 5% attendance, if necessary, in addition to the relaxations in the attendance requirement as provided above. Such concession would be available for the days of actual participation in the event, including journey time with the prior approval of the University

6. **Appointment of Advisers for the M.Phil Course**

There shall be an adviser for every student of the M.Phil course who shall be appointed by the School/Department/Centre concerned.

7. **Topic of Dissertation**

The topic of dissertation, monograph or research paper to be offered by a student shall be approved by the School/Department/Centre on a proposal submitted by the candidate through the Adviser concerned.

8. **Evaluation**

Regulation on Teaching and evaluation are notified separately.

9. **Removal of students from the Programme:**

The Vice Chancellor may approve removal of a student from the Programme on receipt of a recommendation of the Dean of a school/Heads of the Department/Director of Centre/Head of collaborating Institute, on a reference from a Department or Centre concerned of unsatisfactory performance of the Student.

ORDINANCE: 6

[Approved by the Academic Council in its Fifth Meeting held on 3/2/2012 and by the Executive Council in its Sixth Meeting held on 9/6/2012]

Ph.D. PROGRAMME

[Under section 28(1) of the Central Universities Act]

ARTICLES:

1. Preamble
2. Language of Instruction and writing Theses
3. Eligibility for registration in the Ph.D. Programmes

4. Procedure for registration in the Ph.D. Programmes
5. Supervisors
6. Course Work and submission of Progress Reports
7. Procedure for Evaluation/Examination of Course Work

1. PREAMBLE:

1.1. Ph.D. programmes shall be conducted for awarding the Degrees of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in any Discipline of Humanities/Sciences/Social Sciences/Education etc. in which provisions for postgraduate studies and/or research programmes are available in the University.

1.2. The Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) shall be awarded to a student on the basis of an original research work incorporated in a thesis, recommended by a board of examiners and successfully defended in a viva-voce examination.

1.3. The thesis shall demonstrate that the student is capable of doing scholarly work. The results of research embodied in the thesis shall be a contribution to the existing knowledge either by a discovery of new facts or theories or discovery of some new relations between facts already known or critical survey of facts leading to some new interpretations or development of new techniques.

2. LANGUAGE OF INSTRUCTION AND WRITING THESES:

English shall ordinarily be the medium of instruction as well as the language for writing the theses in Ph.D. programmes except in the following cases:

- In the language departments, the medium of instruction as well as the language for writing a thesis shall be the concerned language of the department. Such permission shall be granted by the Research Board on the recommendation of the concerned Department Research Committee.

3. ELIGIBILITY FOR REGISTRATION IN THE Ph.D. PROGRAMMES :

3.1. An applicant for registration in a Ph.D. Programme must have obtained a Master's Degree (two years duration) with a minimum of 55% marks in the concerned or an allied subject, preceded by a Bachelor's Degree or an equivalent Degree of three years duration from a recognized University / Institute. Due relaxation shall be given to the applicants belonging to the reserved categories as per the rules of the Government of India.

3.2. In addition to the above, an applicant must also fulfill any one of the following conditions:

i) Qualified in any of the following examinations: NET (conducted by UGC/CSIR), SLET, GATE, or equivalent National Level Examinations conducted by ICAR/ICMR/ etc.

ii) Holder of UGC Teacher Fellowship.

iii) Obtained an M. Phil. degree of CUTN or any other university recognized by the UGC that also follows the UGC (Minimum Standards and Procedure for awards of M.Phil./Ph.D. Degree), Regulation 2009.

iv) Cleared the CUTNRET (The validity of the CUTNRET, once cleared, will be for two years from the date of publication of result)

3.3. The CUTNRET will normally be held in the months of February and August every year, but the University reserves the right of holding it another time in the year, depending on the requirements of its Research Programme. Type and structure of the CUTNRET will be determined by the University, in consultation with the academic Departments/Centres. Eligibility for appearing in the CUTNRET shall be as per the article No. 3.1 above.

4. PROCEDURE FOR REGISTRATION IN THE Ph.D. PROGRAMMES

4.1. Students shall be admitted to the Ph.D. programmes from the applicants who fulfill the eligibility criteria as per the article No. 3, twice in an academic year (normally before September 15 and March 15) following the procedures, described hereinafter.

4.2. Admission Committees of all Schools conducting Ph.D. programmes in one or more of the academic departments/centres under them, shall lay down and decide on annual basis a predetermined and manageable number of seats for Ph.D. programmes depending on the number of available eligible faculty supervisors as specified under article No.5.1. Such approved number of seats for the Ph.D. programmes shall be notified in the University Website.

4.3. Admission Committees of Schools offering the Ph.D. programmes shall prepare the draft of notification for registration in the Ph.D. programmes, including the registration through qualifying in the CUTNRET and get it approved by the Academic/Examination Division of the University each year, before sending it for publication in the University Website.

4.4. Applicants for registration in the Ph.D. programmes shall apply in the prescribed form paying requisite fees, to the Head of the Department/Dean in accordance with the notifications in that regard. The applications shall be accompanied by attested copies of necessary documents/ testimonials and a brief statement on the area of their respective research interests. The applicants must submit separate application forms for separate programmes. Any subsequent prayer for change of programme shall not be entertained, irrespective of the merit position of the concerned applicant in CUTNRET.

4.5. After the last date of receiving the applications to appear in the CUTNRET, the Admission Committees of the concerned Departments shall screen the applications and display department wise lists of applicants eligible for appearing in the CUTNRET in the respective Departments as well as in the University website.

4.6. The University shall conduct the CUTNRET and prepare the list of the qualifying applicants department wise. The applicants qualified in the CUTNRET and the candidates who are exempted from CUTNRET as per article 3.2 shall be called for interview before the Department Research Committee of the concerned Department/Centre who will prepare the final merit list in respect of that Department/Centre on behalf of the Admission Committee of the concerned Department on the basis of the performance of the applicants in the interview. All the applicants called for interview must submit a write-up (about 1000 words) on his/her research interest with a broad title and at the time of interview, they are expected to discuss on their respective areas of research interests. After completion of the interview, the final merit lists of the selected and wait-listed applicants shall be prepared separately, department wise considering article 4.2. The final merit lists shall be displayed by the respective Departments and notified in the University website. Registration from the waiting lists shall be allowed up to 4 weeks from the beginning of the semester if vacancies arise due to drop out/other reasons. There will be a fresh merit list, every semester.

4.7. Only the predetermined number of applicants in accordance with the approved intake capacity shall be offered registration in the Ph.D. programmes as per the final merit list, who will be registered after payment of requisite registration fees. Immediately thereafter, the Department Research Committee shall recommend the names of supervisors to the Research Board for approval, through the concerned Head of the Department, based on the research interests of the Ph.D. students and relevant expertise of the supervisors. The number of supervisors for a Ph.D. student shall not exceed two in any time. The selected applicants shall be required to pay the requisite fees for Registration and Course Work as may be determined by the University from time to time. The date of payment of fees for registration in a Ph.D. programme shall be considered as the date of registration. The tenure of registration of a student of the Ph.D. programme shall be for a period of three years from the date of his/her registration. A Ph.D. student who is unable to complete his/her thesis within three years may apply for re- registration at least three months before the completion of the tenure of his original registration without any change in the title. The application has to be recommended by the concerned Department Research Committee for consideration and approval of the Research Board.

The student shall pay their required fees for re-registration and the re-registration shall be valid for a further period of one year from the date of expiry of the original registration. If and when a student submits his/her Ph.D. thesis, he/she shall cease to be a student of the programme, once the results for the same are declared. The Department Research Committee, if need be, on the formal request of the Supervisor and co-Supervisor, if any, of a Ph.D. candidate may consider the cancellation of the

Ph.D. Registration in the relevant cases, and recommend the case to Research Board for final approval. In cases involving disciplinary action, the Chairman, Department Research Committee, may move the proposal for cancellation of registration.

5. SUPERVISORS:

5.1 A student, after his registration in a Ph.D. programme, shall be assigned to work under the guidance of a supervisor. Allocation of the Supervisor shall be decided by the concerned Department Research Committee, in a formal manner considering the following:

a) The number of Ph.D. student under the eligible Supervisor(s),

b) Research interest of the concerned Ph.D. student, and

c) The available specialization and expertise of the eligible Supervisor(s).

The Department Research Committee shall ensure that a Supervisor shall not have more than eight Ph.D. students, at any given point of time, including those under his/her co-Supervisorship (defined here in after in 5.4.1, 5.4.2 & 5.4.3) but excluding the students who have already submitted their theses/dissertations. In exceptional cases, the Department Research Committee will take appropriate decisions. The allocation of supervisor shall not be left to the individual student or teacher.

5.2 The Department Research Committee shall also ensure that no Ph.D. student shall remain without a Supervisor for more than six months due to any reason whatsoever. During the period of absence of a Supervisor, the concerned Head of the Department/Centre shall act as the Supervisor, except in the case where there is a co-Supervisor within the University. If there is a co-Supervisor within the university, the co-Supervisor shall act as the Supervisor for all practical purposes until the return of the Supervisor. Such a temporary arrangement shall be in force till a formal replacement is made by the Department Research Committee and this temporary arrangement shall not be considered for counting the number of Ph.D. students under a Supervisor/co-Supervisor for the purpose of ensuring compliance of the maximum permissible number of Supervisorships as mentioned in the article 5.1 above.

5.3 The Head of a Department/Centre shall have the administrative control over the Ph.D. students of that Department/Centre. However, this administrative control shall normally be exercised through the concerned Supervisors.

5.4 Eligibility of the Supervisors and Co-Supervisors :

5.4.1. All Professors, Associate Professors and those Assistant Professors who possess Ph.D. degree and confirmed in their post, shall be eligible to act as Supervisor of Ph.D. students. Teachers from the collaborating institutions/Universities fulfilling the eligibility requirements can also become guides/co-guides/supervisors.

5.4.2. Apart from the designated Supervisor for each Ph.D. student as described above, the concerned Department Research Committee, may consider the appointment of another Professor or Associate Professor or Assistant Professor of the University possessing Ph.D. Degree as a co-Supervisor for a Ph.D. student provided he/she is otherwise eligible as a Ph.D. Supervisor as per the article nos. 5.1 and 5.4.1. The Department Research Committee shall consider the appointment of a co-Supervisor only to improve the quality of Research and if the area of research of the concerned Ph.D. student is found to be common in nature with the specialization and expertise of the proposed co-Supervisor. For the purpose of counting the number of Ph.D. students under an eligible Supervisor, all such Co-Supervisorships shall also be counted. A supervisor, at any given point of time, shall not have more than eight Ph.D scholars and Five M.Phil. Scholars.

5.4.3. UGC Research Scientists, persons of equivalent category, persons of national/international eminence engaged in research in a University or in a reputed National/International institute continuously for at least five years (at the time of application by the concerned applicants for registration in Ph.D. programmes) or Foreign/International scholars of global eminence in the relevant area of research may also be designated as co-Supervisors (with their consent) if the concerned Research Boards are of the opinion that such appointments

shall improve the quality of the research. Such a co-Supervisorship shall ipso facto cease to be effective when the co-Supervisor leaves the University or Institute where he/she was employed at the time of his/her appointment as co-supervisor.

5.4.5. Any near relation of a Ph.D. student cannot act as a Supervisor or co-Supervisor.

5.4.6. Professor, Associate Professor or Assistant Professor, who have registered himself/herself for the Ph.D. degree of the University or any other university shall not be eligible as a Supervisor or co-Supervisor during the tenure of his or her own Ph.D. studentship.

5.4.7. If a Supervisor retires from the university service before the submission of thesis by his/her students but continues to reside within the adjacent area of the university, he/she may continue to act as supervisor up to a maximum period of two years, from the date of retirement.

5.4.8. Supervisor and co-Supervisor may act as Examiner in the Ph.D. examination process.

6. COURSE WORK AND SUBMISSION OF PROGRESS REPORTS

6.1.1. All Ph.D. course-work will be on full-time basis.

6.1.2. All Ph.D. students except the students who have passed M.Phil. Degree from a recognized university by following the UGC (Minimum Standards and Procedure for awards of M.Phil/Ph.D. Degree), Regulation, 2009 shall be required to undertake course work for a period of one semester. However, a Ph.D. student, who has earlier obtained an M. Phil. degree in the same field of study by following the UGC (Minimum Standards and Procedure for awards of M.Phil/Ph.D. Degree), Regulation, 2009 may be exempted from course work and shall have to submit a synopsis of the proposed research work including the title of the research topic before the concerned Department Research Committee, which shall process the same in accordance with the provisions of the article 6.2 below.

6.1.3. Details of the course work shall be as per the article 7 below. The course work to be undertaken by a Ph.D. student shall normally be conducted by the concerned department in which he/she has been registered. However, the course work may also be undertaken in another department within the University, if so approved by the Research Board on a specific recommendation by the Department Research Committee of the department in which the student has been registered, with concurrence of the Department Research Committee of the other department. For the purpose of according such an approval, the proposed area of research of the Ph.D. student shall have to be similar or overlapping or common in nature with the contents of the course work conducted by the other department.

6.2. Just after completion of the course work, a Ph.D. student shall submit an elaborate research proposal for his/her research work including the title of the research topic, methodology and new contribution envisaged in the proposal towards the discovery of knowledge before the concerned Department Research Committee. The concerned Department Research Committee shall forward its recommendation for the consideration of the Research Board whose decision shall be final in these regards. The title of the thesis shall be written in English and in any other language as approved by the concerned Department Research Committee and the Research Board.

The concerned Department Research Committee, shall forward its recommendation including that for any modification of the title of the Research topic, if needed, for consideration of the Research Board.

6.3. After successful completion of the course work in the semester, a Ph.D. student is required to submit annual progress reports, after completion of each academic year, before the concerned Boards of Study, which shall be duly endorsed by his/her Supervisor. The Research Boards shall assess the progress reports at the earliest and forward only those reports which have been deemed as unsatisfactory, to the Department Research Committee with appropriate advices to the concerned Supervisors.

6.4. Ph.D candidates shall publish one research paper in a refereed journal before the submission of thesis/monograph for adjudication and produce evidence for the same in the form of acceptance letter or reprint.

6.5. Prior to submission of thesis, the student shall make a pre-MPhil/Ph.D presentation in the Department, that may be open to all Faculty Members and Research Students, for getting feedback and comments ,which may be suitably incorporated into the draft thesis as per the advice of the Supervisor.

7. PROCEDURE FOR EVALUATION/ EXAMINATION OF COURSE WORK

7.1. The Structure of Course Work:

(a) There shall be three types of credit courses, ‘only theory courses’, ‘only practical courses’ and ‘composite courses’. The composite courses will have both theory and practical components.

(b) The distribution of marks in various courses of Ph.D.programme shall be:

i. For ‘Only theory courses’

Semester Terminal Examination : 80

Internal Assessment : 20

Total : 100

ii. For ‘Only practical courses’

Semester Terminal Practical Examination : 80

Internal Assessment : 20

iii. For ‘Composite courses’ i.e. Theory & Practical (70:30)

Semester Terminal Theory Examination : 50

Semester Terminal Practical Examination : 50

Internal Assessment : 20

Total : 100

Total : 100

(c) Internal Assessment

Internal assessment will be done in the form of continuous evaluation having at least two tests of different forms (tutorial, class test as objective, essay, viva-voce, quiz type, assignment/term paper, class seminar, group discussion etc.) per course. The tests should be spread throughout the Semester but 15 days before the commencement of semester of terminal examination. At least 50% weight should be on written form of tests. In case of the student who fails to appear in the semester terminal examination but appears in Internal Assessment (continuous evaluation) of the courses, marks of internal assessment of the student will remain valid during his/her next chances but if a student remains absent or scores low or nil marks even in internal assessment, he/she will not be permitted to reappear for internal assessment after the semester is over.

7.2. THE COURSES:

Duration of Course : As per the article 6.12

Course No. 1 :

Research Methodology and techniques - 4 credits/100 marks

Course No. 2 :

Elective course (to be chosen/opted from - 4 credits/100 marks

Several courses in the broad area of the field of study in which research towards thesis is to be done)

Course No. 3 - 4 credits/ 100 marks

Reviewing of published research work in the relevant field of research and written presentation of a synopsis on the proposed area of research Qualifying marks in each of the above courses - 50%

7.2.1 The distribution of credit or marks for courses in the Ph.D. programme shall be as follows : Course No.	**Credit Points**	**Marks**
1	4	100
2	4	100
3	4	100

ORDINANCE NO. 7

[Approved by the Academic Council in its Fifth Meeting held on 3/2/2012 and by the Executive Council in its Sixth Meeting held on 9/6/2012]

CONVOCATION

(Under Statute 29)

1. a. A Convocation for the purpose of conferring degrees shall ordinarily be held once in a year on such date and place as may be fixed by the Vice-Chancellor with prior approval of the Chancellor.

b. The Academic calendar of the University shall, in addition to the schedules for academic activities like courses and Examinations, also include the date/s for degree awards;

c. If necessary, the University may schedule Degree awards more often than once in a year and the same shall be included in its academic calendar;

d. The Degree award date/s shall be normally within 180 days of the date/s by which the students are expected to qualify and become eligible for them; however, the University can change the award date without any such stipulation.

2. A special convocation for the purpose of conferring Honorary degrees may also be held at such time as may be decided by the Executive Council.

3. The Collegium shall consist of members of the Court, Executive Council, Academic Council, Deans of Schools and Heads of Departments.

The Chancellor shall, if present, preside at the Convocations of the University for conferring degrees. In the absence of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall preside at the Convocation.

4. Not less than four weeks' notice shall be given by Registrar of all meetings of the Convocation.

5. The Registrar shall, with the notice, issue to each member of the Convocation, a programme of the procedure to be observed thereat.

6. The Candidates who have passed their examinations in the year for which the Convocation is held shall be eligible to be admitted to the Convocation.

Provided that this will not be applicable to the First Convocation at which candidates of all the preceding years shall also be admitted to their respective degrees.

Provided also that incase the Convocation could not be held in a particular year, the Vice-Chancellor shall be competent to admit candidates to the respective degrees without waiting for formal Convocation but on payment of prescribed fees.

Such recipients of degree shall, however, sign the usual exhortation which they are required to do while Convocation ceremony is normally held.

Provided also that in case the Convocation is not held in a particular year, the Vice-Chancellor shall be competent to authorize admission of all those eligible candidates who so wish to obtain their degrees through a Convocation to the next Convocation and confer on them the respective degrees on payment of the prescribed fees.

Provided further that those who wish to obtain their degree in absentia when Convocation is held regularly, may also do so after payment of usual fees.

8. a. A candidate for the degree must submit to the Registrar his/her application on or before the date prescribed for the purpose, for admission to the degree at the Convocation in person, along with the prescribed fees.

b. The University shall notify a programme for Degree awards at least 30 days before the date/s so fixed, so that the candidate can apply for same:

9. Candidates unable to present themselves in person at a Convocation, shall be admitted to the degree in absentia by the Chancellor or in his/her absence by the Vice-Chancellor and their Diplomas shall be given by the Registrar on application and payment of the prescribed fees.

10. The fees for admission to the degree at the Convocation in person shall be as prescribed from time to time.

11. Honorary degree shall be conferred only at Convocation and may be taken in person or in absentia.

12. The presentation of the persons at the Convocation on whom honorary degrees are to be conferred shall be made by the Vice-Chancellor or his nominee.

13. Candidates at the Convocation shall wear gowns and hoods appropriate to their respective degrees as may be specified by executive orders. No candidate shall be admitted to the Convocation who is not in proper academic dress as prescribed by the University.

14. For the award of degrees at the Convocation, candidates present shall be formally presented to the Chancellor or in his/her absence to the Vice-Chancellor for admission to their respective degrees as follows:

The Heads of respective post-graduate Departments will present the Master of Arts and Master of Science Candidates.

The name of the recipients of medals and prizes shall be read by the Registrar or the person nominated by the Vice-Chancellor.

The Registrar or the person appointed for the purpose will present the candidates for conferment of degrees in absentia.

Degree certificates shall be supplied to the candidates in a manner prescribed by the Vice-Chancellor after the Convocation is over.

15. The Chancellor, The Chief Guest, the Vice-Chancellor, the Registrar, the Finance Officer, the Controller of Examinations, the Deans of Schools, the Heads of the Departments and the members of the University authorities shall wear their special robes prescribed by the University and further procedure for the conduct of the Convocation shall be prescribed by the executive orders.

16. Any Minister of the Indian Union, Minister of State Governments, Minister of the Union Territories, Speaker of LOK SABHA/State Legislatures/Union Territory Legislatures, whenever they attend the Convocation, they be provided special robes according to their status, as may be decided by the Vice-Chancellor in individual cases and like other authorities/officers of the University, they may attend the Convocation with their academic robes on.

ORDINANCE NO. 8

[Approved by the Academic Council and by the Executive Council in its Fourth Meeting held on 28/5/2011]

MANNER OF RECOGNITION & COLLABORATION BY THE UNIVERSITY WITH OTHER UNIVERSITIES/AUTHORITY/INSTITUTIONS

[Under Section 6 (1) (vii), (x) and 28 (1) (k) of the Act]

PREAMBLE

1. Section 6 (1) (vii) of the Central Universities Act (2009) empowers the University to recognize an institution of higher learning for such purposes that the University may determine and to withdraw such recognition.
2. Section 6 (1) (x) of the Central Universities Act (2009) empowers the University "to co-operate or collaborate or associate with any University or authority or institution of higher learning, including those located outside the country in such manner and for such purposes as the University may determine.
3. Section 28 (1) (k) of the Act make provision for framing of Ordinance to provide for "the manner of co-operation and collaboration with other Universities, institutions and other agencies including learned bodies and associations"
4. In the context of the above, the Central University of Tamil Nadu proposes to recognize and collaborate with other institutions of higher learning that have core competence in various branches of knowledge to enrich and strengthen instruction and research in such areas as are beneficial to the University in furtherance of its Objectives.

   Hence the Ordinance.

I. ELIGIBILITY FOR RECOGNITION

1. Such institutions that have a proven excellence and academic competence in instruction and research and are at least ten years old with a proven track record of competence will be eligible for the purpose of recognition to collaborate with the University.

Provided that such institutions may be located anywhere within the country or in others countries of the world.

Provided further those that such bodies may be funded by the Government or other agencies except that they shall not be profit-making bodies and the source of funding shall be through legal and government approved means.

2. Proven excellence and academic competence shall be adjudged, among other things, on the following basis:
   i. The institution shall have full-time qualified core faculty consisting of at least four full time teachers and who should have drawn the UGC/AICTE pay scales for a minimum period of 5 years and must have published at least 5 papers and/or at least two books after his/her Ph.D. in journals/publication houses of national/international repute having ISSN/ISBN number.
   ii. The institution shall have their own building with required laboratory facility and Library for research purpose and the library shall have adequate number of research journals, reference books, advanced textbooks along with internet facility or such modern equipment /facilities used in higher educational institutes/Universities in the country.
   iii. The institution shall have sufficient financial resources to fund research activities.

II. PROCEDURE FOR RECOGNITION AND RENEWAL OF RECOGNITION

1. Any such institution that desires to be associated with the University shall express its intention to do so in writing to the University in the prescribed format with supporting documents in proof of para 2 (I)

2. All such requests shall be received by the Registrar and placed before a Committee of Deans and Professors of the University which shall be composed of the following and shall normally meet twice in a year:

Pro Vice-Chancellor or Nominee of the Vice Chancellor	—Chairman
All Deans of Schools	—Members
Head and all Professors of Department/Centre concerned in Whose area of instruction the proposed collaboration Is to be carried out	—Members
Registrar	—Member-Secretary

50% of the members shall constitute a quorum.

All decisions shall be taken by consensus of at least 75% of the members present.

3. The above Committee shall consider the requests received and recommend a case for recognition to the Vice-Chancellor who shall nominate a three-member committee to carry out physical inspection and verification of the facts claimed by the institute.
4. The committee shall visit the institution by drawing upon the funds of the University and shall carry out physical verification of the institution to assess its case for recognition on the lines of the parameters at para 2 (I-iv) above. After doing so, it shall submit its report to the Committee who then make appropriate recommendation to the Vice-Chancellor who, along with his/her opinion, place it before the statutory authorities for decision in the matter.
5. Recognition granted shall normally not exceed five years and will be subject to a mid-term review the manner and timing of which shall be as decided by the University.
6. Recognition may be extended after five years for subsequent terms of five years each.
   a. Provided that the continuing instruction and research schedule shall not be disturbed for the reason of expiry of the term of recognition alone.
   b. Provided further that normally no new registration for research or initiation of an instructional semester shall be initiated by the University during the last six months of the period of recognition.
7. Request for re-recognition/renewal of recognition shall be received at least six months in advance from the date of expiry of the period and shall be examined as per the procedure already detailed above.
8. The University shall reserve the right to withdraw such recognition with immediate effect if any falsification of facts is found at a later stage or any fact comes to light that is damaging to the credibility or conduct of the institution in terms of academic credentials.
9. All legal disputes shall be subject to the jurisdiction of the courts at Thiruvarur.

III. MANNER OF COLLABORATION/COOPERATION AND OTHER DETAILS

1. The University may choose to collaborate with an institution for the purposes of either instruction or research or both.
2. Provided that in case of either of the above, the students shall be admitted and examined by the University as per extant rules and guidelines.
3. Fees shall be prescribed and collected by the University which may be equally shared by the institution after mutual agreement.
4. Guides/research supervisors shall be appointed/recognized by the University as per its rules and regulations as amended from time to time.

5. If a teacher of the institution retires in mid-term of the period of research or instruction, his/her/her services shall normally be utilized till the end of the semester following which suitable replacement shall be made by the University.
6. The timing of residence of a batch of students/research scholar(s) at the institution shall be decided by the Head of the Department concerned.

   However the maximum period of residence shall be regulated as follows:

For 5 years integrated and Ph.D. course	3 non-consecutive semesters
For 3 years UG course	2 non-consecutive semesters
For PG courses	2 non-consecutive semesters
M.Phil. courses	1 semester

Any matter not specifically covered in the above shall be regulated as per the University Rules as existing and amended from time to time.

ORDINANCE NO. 9

[Approved by the Academic Council and by the Executive Council in its Fourth Meeting held on 28/5/2011]

MAINTENANCE OF DISCIPLINE AMONG STUDENTS

[Under Section 28(1) (o) of the Act]

1. Discipline includes the observance of good conduct and orderly behavior by the students of the University.
2. The following and such other rules as framed by the University from time to time shall be strictly observed by the students of the University.
   a. Every student of the University shall maintain discipline and consider it his /her duty to behave decently at all places. Men student shall, in particular, show due courtesy and regard to women students.
   b. No student shall visit places or areas declared by the Proctor as “Out of Bounds” for the students.
   c. Every student shall always carry on his/her/her person the Identity Card issued by the Proctor.
   d. Every student, who has been issued the Identity Card, shall have to produce or surrender the Identity Card, as and when required by the Proctorial Staff, Teaching and Library Staff and the Officials of the University.
   e. Any Student found guilty of impersonation or of giving a false name shall be liable to disciplinary action.
   f. The loss of the Identity Card, whenever it occurs, shall immediately be reported in writing to the Proctor.
   g. A student is found to be continuously absent from classes without information for a period of 15 days in one or more classes, his/her name shall be stuck off the rolls. He/she may, however, be readmitted within the next fortnight by the Dean on payment of the prescribed readmission fee etc. He /She will not be readmitted beyond the prescribed period.
3. Breach of discipline, interlaid, shall include:
   i. Irregularity in attendance, persistent idleness or negligence or indifference towards the work assigned.
   ii. Causing disturbance to a Class or the Office or the Library, the auditorium and the play Ground etc.;

iii. Disobeying the instructions of teachers or the authorities;

iv. Misconduct or misbehavior of any nature at the time of elections to the student bodies or at meeting or during curricular or extra-curricular activities of the University.

v. Misconduct or misbehavior of any nature at the Examination Centre.

vi. Misconduct or misbehavior of any nature towards a teacher or any employee of the University or any visitor to the University.

vii. Causing damage, spoiling or disfiguring to the property/equipment of the University;

viii. Inciting others to do any of the aforesaid acts;

ix. Giving publicity to misleading accounts or rumor amongst the students;

x. Mischief, misbehavior and/or nuisance committed by the residents of the hostels;

xi. Visiting places or areas declared by the proctor as out of bounds for the students.

xii. Not carrying the identity cards issued by the Proctor;

xiii. Refusing to produce or surrender the Identity Card as and when required by Proctorial and other Staff of the University;

xiv. Any act from of ragging.

xv. Any other conduct anywhere which is considered to be unbecoming of a student.

4. Students found guilty of breach of discipline shall be liable to such punishment, as prescribed below;

(1) Fine

(2) Campus Ban

(3) Expulsion, and

(4) Rustication

However, no such punishment shall be imposed on an erring student unless he is given a fair chance to defend himself. This shall not preclude the Vice-Chancellor from suspending an erring student during the pendency of disciplinary proceedings against him.

5. All powers relating to discipline & disciplinary action in relation to the student shall vest in the Vice-Chancellor. However the Vice-Chancellor may delegate all or any of his/her powers as he deems proper to the Proctor or to the disciplinary authority as the case may be any functionary of the University.

6. There shall be a Discipline Committee comprising of the following members

a. Vice-Chancellor – Chairman

b. Pro-Vice-Chancellor

c. The Dean Students Welfare

d. The Proctor

e. The Deans of the Schools;

f. The Warden, who shall be invited, when the matter concerning his/her/her Hostel/Kitchen is required to be placed before the Committee for consideration; and

g. The Registrar (Member/Secretary)

I. Subject to any powers conferred by the Act and the Statues on the Vice-Chancellor, the Committee shall take cognizance of all matters relating to discipline and proper standards of behavior of the students of the University and shall have the powers to punish the guilty as it deems appropriate.

II. The said Committee shall, make such Rules as it deems fit for the performance of its functions and these Rules and any other orders under them shall be binding on all the students of the University.

III. The decision of the Discipline Committee shall be final and binding. However, in exceptional circumstances the Discipline Committee is empowered to review its decisions.

IV. One-third of the total members shall constitute the quorum for a meeting of the said Committee.

Dr. S. BHUVANESWARI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./491/16]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.30 10:21:31 +05'30'